सत्यमेव जयते

मामला संख्याः एडी (ओआई)-48/2025

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार

फा. संख्या 6/55/2025-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001

दिनांकः 29.09.2026

अंतिम निष्कर्ष

मामला संख्याः एडी (ओआई) - 48/2025

विषय: बांग्लादेश, चीन जन. गण. और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म" ("पीईटी फिल्म्स") के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच

क. पृष्ठभूमि

फा. संख्या 6/55/2025-डीजीटीआर - समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

1. चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वैकमेट इंडिया लिमिटेड

(जिन्हें आगे "आवेदक" कहा गया है) ने अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष बांग्लादेश, चीन जन. गण., ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ("यूएसए") के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म्स (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद", "संबद्ध वस्तु" अथवा "पीईटी फिल्म" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने हेतु आवेदन दायर किया। आवेदन के अनुसरण में दो अन्य घरेलू उत्पादकों, अर्थात् यूफ्लेक्स लिमिटेड और स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने पूर्ण क्षति और लागत संबंधी सूचना प्रस्तुत की और उन्हें घरेलू उद्योग का भाग माने जाने का अनुरोध किया।

2. आवेदकों ने 28 जुलाई 2025 को एक आवेदन दायर कर बांग्लादेश, चीन जन. गण., ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ("यूएसए") से पाटित आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया। तथापि, प्रथम दृष्टया जांच में प्राधिकारी ने पाया कि ताइवान से क्षतिकारी आयातों की मात्रा नगण्य थी और ताइवान से आयातों के संबंध में जांच शुरू करना उचित नहीं समझा।

3. आवेदकों द्वारा दायर विधिवत् समर्थित आवेदन को देखते हुए प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/55/2025-डीजीटीआर, दिनांक 30 सितंबर 2025 के माध्यम से बांग्लादेश, चीन जन. गण., थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की। पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार यह जांच संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा ऐसे पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए शुरू की गई, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो।

4. जांच के दौरान घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि यूएसए से आयात मुख्यतः कम कीमत वाले स्टॉक-लॉट अथवा शेष स्टॉक के थे, जो घरेलू उत्पाद या नियमित आयातों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे, और तदनुसार यूएसए के संबंध में अपना आवेदन वापस ले लिया। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से इस दावे की प्रतिपुष्टि की और पाया कि यूएसए से लगभग 99% आयात स्टॉक-लॉट अथवा शेष सामग्री के थे, जबकि अन्य संबद्ध देशों से ऐसे आयात नगण्य थे। तदनुसार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(क) और घरेलू उद्योग के आवेदन वापस लेने के अनुरोध के अनुसरण में यूएसए से आयातों के संबंध में जांच प्रारंभिक निष्कर्षों के चरण में समाप्त कर दी गई। अतः, उपर्युक्त के दृष्टिगत, बांग्लादेश, चीन जन. गण. तथा थाईलैंड को इसमें आगे "संबद्ध देश" कहा गया

है।

ख. प्रक्रिया

5. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

5.1 जांच की शुरुआत

i. नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही से पहले प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने 30 सितंबर 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की।

iii. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति प्रश्नावलियों सहित भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के माध्यम से वहां की सरकारों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी और उनसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने विचार लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

5.2 आवेदन के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

iv. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के माध्यम से वहां की सरकारों को उपलब्ध कराई। अनुरोध किए जाने पर आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई।

5.3 संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

v. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं।

vi. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

vii. संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

i. अकीज बायएक्स फिल्म्स लिमिटेड (बांग्लादेश)
ii. फुजियान बिलियन हाई-टेक मटीरियल्स इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (चीन)
iii. हांगझोउ ग्रेट साउथईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू मटीरियल कंपनी लिमिटेड (चीन)
iv. जियांगसू कांगहुई न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (चीन)
v. जियांगसू शुआंगशिंग कलर प्लास्टिक न्यू मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड (चीन)
vi. कांगहुई नानटोंग न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (चीन)
vii. कांगहुई न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (चीन)
viii. कांगहुई इंटरनेशनल ट्रेड (जियांगसू) कंपनी लिमिटेड (चीन)
ix. सनराइज एशिया लिमिटेड (हांगकांग)
x. यूनाइटेड रॉ मटीरियल पीटीई लिमिटेड
xi. ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कंपनी लिमिटेड (थाईलैंड)

5.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं।

ix. निम्नलिखित आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। प्राधिकारी ने उसके अनुरोधों पर तदनुसार विचार किया है।

i. मैसर्स राम किशोर नागरमल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

5.5 जांच की अवधि और क्षति अवधि

x. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि मानी गई है।

5.6 **आयात आंकड़े**

xi. डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के लेनदेन-वार आयात विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। लेनदेनों की उचित जांच के बाद प्राधिकारी ने आयात की मात्रा की गणना और आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

5.7 **अन्य**

xii. जांच शुरुआत अधिसूचना और आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को भेजी गई।

xiii. प्राधिकारी ने 30 सितंबर 2025 की जांच शुरुआत अधिसूचना के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं।

xiv. प्राधिकारी को वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति के संबंध में घरेलू उद्योग तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध प्राप्त हुए। किए गए अनुरोधों के आधार पर प्राधिकारी ने 6 नवंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद का दायरा और पीसीएन पद्धति अंतिम रूप से निर्धारित की।

xv. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई तथा उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल करें।

xvi. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III को ध्यान में रखते हुए, भारत में संबद्ध वस्तुओं की इष्टतम उत्पादन लागत तथा उन्हें बनाने और बेचने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं।

xvii. जांच शुरू होने के पश्चात्, हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना उपलब्ध कराने और अपने हितों की रक्षा करने का उचित अवसर देने के बाद, तथा अभिलेख पर उपलब्ध सूचना और साक्ष्य के आधार पर अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने 21 मार्च 2026 को प्रारंभिक निष्कर्ष जारी किए। प्रारंभिक रूप से यह निष्कर्ष निकाला गया कि विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से उनके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तुओं का पाटन हुआ; घरेलू उद्योग को ऐसे पाटन के कारण क्षति हुई; और घरेलू उद्योग को हुई क्षति ऐसे पाटित आयातों के कारण हुई। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अस्थायी पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की।

xviii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रिया के बारे में सूचित किया -

i. सभी हितबद्ध पक्षकारों से प्रारंभिक निष्कर्षों के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर उन पर टिप्पणियां आमंत्रित की गईं।
ii. आवश्यक समझे जाने पर आगे सत्यापन किया जाएगा।
iii. अंतिम निष्कर्ष जारी करने से पूर्व आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा।
iv. अस्थायी पाटनरोधी शुल्क लगाने पर विचार के लिए प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति केंद्र सरकार को भेजी गई।
v. कई हितबद्ध पक्षकारों ने प्रारंभिक निष्कर्षों पर उत्तर/टिप्पणियां दायर कीं, जिन पर अंतिम निर्धारण के प्रयोजन से उचित रूप से विचार किया गया है।

xix. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 6 अगस्त 2026 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध और उसके बाद, यदि कोई हो, प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया।

xx. जो अनुरोध केवल पूर्व अनुरोधों की पुनरावृत्ति थे और जिनकी प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक निष्कर्षों में पर्याप्त जांच की जा चुकी थी, उन्हें संक्षिप्तता के लिए पुनः नहीं दोहराया गया है।

xxi. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, जिस सीमा तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत पाए गए तथा प्रारंभिक निष्कर्षों में पहले से उनकी जांच नहीं की गई थी, प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम निष्कर्षों में उचित रूप से विचार किया गया है।

xxii. प्रारंभिक निष्कर्ष इन अंतिम निष्कर्षों का अभिन्न भाग हैं और इन्हें साथ पढ़ा जाना चाहिए। प्रारंभिक निष्कर्षों में पहले से जांची गई प्रक्रिया, अनुरोध, मुद्दे और निष्कर्ष, जिन्हें बाद में विवादित या संशोधित नहीं किया गया, संक्षिप्तता के लिए यहां पुनः नहीं दोहराए गए हैं और वर्तमान निर्धारण के अनुरूप सीमा तक इन्हें इन अंतिम निष्कर्षों में समाहित माना जाएगा।

xxiii. प्राधिकारी ने यथासंभव हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई उस सूचना की सटीकता से स्वयं को संतुष्ट किया जो इन अंतिम निष्कर्षों का आधार है, और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का उस सीमा तक सत्यापन किया जिस सीमा तक उन्हें संगत और आवश्यक माना गया।

xxiv. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से उस सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी जिस सीमा तक उसे आवश्यक समझा गया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन से आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया।

xxv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां उचित था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। जहां संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को ऐसी सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

xxvi. जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इनकार किया, अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों

को असहयोगी माना और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज कीं।

xxvii. प्राधिकारी ने इस चरण पर सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों तथा उपलब्ध कराई गई सूचना पर, जहाँ तक वे साक्ष्यों से समर्थित हैं और वर्तमान जाँच के लिए प्रासंगिक माने गए हैं, विचार किया है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच परिणामों के पश्चात हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संबंधी दस्तावेजों की जाँच की है, जो इन अंतिम जाँच परिणामों में निष्कर्षों का आधार बने हैं।

xxviii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार 22.09.2026 को प्रकटन विवरण जारी किया, जिसमें वर्तमान पाटनरोधी जांच से संबंधित मामले में विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर, जिस सीमा तक वे संगत और अपुनरावृत्त पाई गईं, इन अंतिम निष्कर्षों में विचार किया गया है।

xxix. इस अधिसूचना में "***" किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा ऐसी मानी गई सूचना का द्योतक है।

xxx. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹85.43 है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं के मूल्य के रूपांतरण के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित तथा जांच की अवधि में प्रभावी विनिमय दरों का औसत है। यही दर इन अंतिम निष्कर्षों में सर्वत्र लागू की गई है।

स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया था:

"विचाराधीन उत्पाद "पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म" अथवा 8-100 माइक्रोन की द्विअक्षीय रूप से अभिमुख पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म है। इसे सामान्यतः पीईटी फिल्म अथवा पॉलिएस्टर फिल्म कहा जाता है। यह साफ, लचीली, पारदर्शी

अथवा अर्धपारदर्शी फिल्म है और उपयोग के आधार पर अनेक प्रकारों में उपलब्ध होती है। पीईटी फिल्म प्लेन, रासायनिक कोटेड, एक्रिलिक कोटेड अथवा एक या दोनों ओर मेटलाइज्ड हो सकती है। ऐसी सभी पीईटी फिल्में द्विअक्षीय रूप से अभिमुख होती हैं, क्योंकि उनका उत्पादन समान कच्चे माल और समान प्रौद्योगिकी से किया जाता है; अतः इन प्रकारों की भौतिक और तकनीकी विशेषताएं समान होती हैं।

सोलर पैनलों में उपयोग के लिए पीईटी फिल्म और थर्मल लैमिनेशन फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।"

7. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अंतर्गत शीर्ष 3920 और 3921 में वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तुओं का आयात टैरिफ कोड 3920 6210, 3920 6220, 39206290, 3920 6919 और 3921 9094 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच के लिए निम्नलिखित पीसीएन पद्धति अपनाई गई।

क्र. सं.	मानदंड	उत्पाद प्रकार
1.	फिल्म का प्रकार	A - प्लेन
		B - मेटलाइज्ड
		C - पीईटीजी श्रिंक फिल्म
		D - अन्य
2.	सतह उपचार	01 - अनकोटेड
		02 - ऑनलाइन रासायनिक रूप से कोटेड (अर्थात् बेस फिल्म के पूर्ण रूप से खिंचने से पहले रासायनिक कोटिंग लगाई गई हो)
		03 - ऑफलाइन रासायनिक रूप से कोटेड (अर्थात् बेस फिल्म के पूर्ण रूप से खिंचने के बाद रासायनिक कोटिंग लगाई गई हो)
3.	मोटाई की रेंज	01 - 20 माइक्रोन तक
		02 - 20 माइक्रोन से अधिक, 30 माइक्रोन तक
		03 - 30 माइक्रोन से अधिक, 40 माइक्रोन तक

		04 - 40 माइक्रोन से अधिक, 50 माइक्रोन तक
		05 - 50 माइक्रोन से अधिक, 100 माइक्रोन तक

उदाहरणार्थ, 12 माइक्रोन की प्लेन बीओपीईटी अनकोटेड फिल्म के लिए पीसीएन A 01 01 होगा और 22 माइक्रोन की ऑफलाइन कोटेड मेटलाइज्ड बीओपीईटी फिल्म के लिए पीसीएन B 03 02 होगा।

ग.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

9. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

10. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि अंतिम निष्कर्ष जारी करने के लिए प्राधिकारी को जांच शुरुआत के समय प्रस्तावित तथा प्रारंभिक निष्कर्षों में अपनाए गए विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर विचार करना चाहिए।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

11. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत सूचना के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर स्पष्टीकरण/टिप्पणी देने तथा पीसीएन पद्धति के निर्धारण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया। विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के संबंध में घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने टिप्पणियां दायर कीं। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों और इस संबंध में विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने 6 नवंबर 2025 की सूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद का अंतिम दायरा और पीसीएन पद्धति अधिसूचित की।

12. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस दायरे में और परिवर्तन की मांग करते हुए कोई अनुरोध नहीं किया। अतः प्राधिकारी ऊपर पैरा 5 में दर्ज विचाराधीन उत्पाद के दायरे, जिसमें सोलर पैनलों में उपयोग के लिए पीईटी फिल्म और थर्मल लैमिनेशन फिल्म का अपवर्जन शामिल है, की अंतिम रूप से पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त, ऊपर पैरा 7 के अनुसार प्रारंभिक निष्कर्षों में अपनाई गई पीसीएन पद्धति पर वर्तमान जांच में विचार किया गया है।

13. प्राधिकारी दोहराता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक गुणों, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सीमा शुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करता है कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ में संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं की "समान वस्तु" है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

14. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि प्रारंभिक निष्कर्षों में परिभाषित घरेलू उद्योग के दायरे की पुष्टि की जानी चाहिए।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' से समान वस्तु के विनिर्माण तथा उससे संबंधित किसी गतिविधि में संलग्न समस्त घरेलू उत्पादक अथवा ऐसे घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख भाग हो; तथापि, जहां ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हों या स्वयं ऐसी वस्तु के आयातक हों, वहां 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।"

17. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों सहित आवेदकों के अनुरोधों की जांच की और

नोट किया कि एसआरएफ लिमिटेड और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्रमशः एसआरएफ इंडस्ट्रीज (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड और पॉलीप्लेक्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड से संबंधित हैं, जिन्होंने पीओआई के दौरान क्रमशः *** एमटी और *** एमटी संबद्ध वस्तुओं का भारत को निर्यात किया। आवेदकों ने ऐसे संबंधों को स्थापित करने वाले साक्ष्य भी उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त, न तो एसआरएफ लिमिटेड और न ही पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जांच में सहयोग किया अथवा अपने निष्पादन या संबंधित आयातों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई। तदनुसार, प्राधिकारी की स्थापित प्रथा के अनुरूप दोनों उत्पादकों को नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग में शामिल किए जाने के लिए अपात्र माना गया है और नियम 2(ख) तथा 5(3) के प्रयोजनों से कुल भारतीय उत्पादन निर्धारित करते समय उनके उत्पादन को बाहर रखा गया है।

18. प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में अस्थायी रूप से निष्कर्ष निकाला था कि चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, यूफ्लेक्स लिमिटेड और वैकमेट इंडिया लिमिटेड कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख भाग रखते हैं और इसलिए नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का गठन करते हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग की परिभाषा के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

19. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी पुष्टि करता है कि चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, यूफ्लेक्स लिमिटेड और वैकमेट इंडिया लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और कुल पात्र घरेलू उत्पादन का प्रमुख भाग, अर्थात् ***%, रखते हैं। इसके अतिरिक्त, ये उत्पादक समर्थक उत्पादकों सहित कुल पात्र भारतीय उत्पादन का ***% रखते हैं और इस प्रकार आवेदन नियमावली के नियम 5(3) की आवश्यकता पूरी करता है।

विवरण	**इकाई**	**उत्पादन**	**हिस्सेदारी**	**रेंज**
पात्र घरेलू उत्पादन				
घरेलू उद्योग	एमटी	***	***	40-50
समर्थक उत्पादक	एमटी	***	***	50-60
घरेलू उद्योग + समर्थक उत्पादक	एमटी	***	***	90-100
अन्य पात्र भारतीय उत्पादक	एमटी	***	***	0-10

कुल पात्र घरेलू उत्पादन	एमटी	***	***	100
अपात्र घरेलू उत्पादन				
एसआरएफ लिमिटेड	एमटी	***		
पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एमटी	***		
कुल भारतीय उत्पादन	एमटी	***		

ङ. गोपनीयता

ङ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

20. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के दावों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ङ.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

21. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के दावों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ङ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली का नियम 7 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) तथा नियम 17 के उप-नियम (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां अथवा जांच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर, ऐसी ही मानी जाएगी और ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में उसका सार बनाया जाना संभव नहीं

है, तो वह ऐसा सार संभव न होने के कारणों का विवरण निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

(3) (3) उप-नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति सूचना सार्वजनिक करने या उसके सामान्यीकृत अथवा सार रूप में प्रकटन की अनुमति देने का इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।"

23. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, जहां उचित था, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी सूचना को गोपनीय माना तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया। जहां संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को ऐसी सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

च. विविध अनुरोध

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

24. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं।

    i. वर्तमान जांच को अस्थायी अथवा अंतिम शुल्क लगाए बिना समाप्त किया जाना चाहिए।

    ii. बार-बार अनुरोध के बावजूद प्राधिकारी ने अकीज बायएक्स के लिए गणना की गई क्षतिरहित कीमत, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना पद्धति प्रकट नहीं की है।

च.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

25. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के प्रत्युत्तर में कहा है कि वर्तमान जांच समाप्त नहीं की जा सकती क्योंकि प्राधिकारी ने प्रारंभिक रूप से निर्धारित किया है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाई है और आगे भी क्षति

पहुंचाने का खतरा है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

26. जांच समाप्त करने संबंधी अनुरोध के बारे में प्राधिकारी नोट करता है कि वर्तमान जांच घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए पाटन, क्षति, आगे क्षति के खतरे और कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर शुरू की गई थी। इसके बाद प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध सूचना और साक्ष्य की जांच कर तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्रारंभिक निष्कर्ष जारी किए। प्रारंभिक रूप से यह निर्धारित किया गया कि संबद्ध देशों के निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद का भारत में पाटन किया है और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाई है। आगे यह भी प्रारंभिक रूप से निर्धारित किया गया कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग को आगे क्षति पहुंचाने का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इसके विपरीत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। अतः नियम 14 में निर्दिष्ट ऐसी कोई परिस्थिति वर्तमान मामले में मौजूद नहीं है जो जांच समाप्त करने को उचित ठहराती हो।

27. संगत तथ्यों के प्रकटन न किए जाने संबंधी अनुरोधों के बारे में, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति आवश्यक तथ्यों के भाग के रूप में हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट की जा रही है और नीचे संबंधित खंडों में भी दर्ज की गई है। निर्धारण का आधार बनने वाले आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण नियम 16 के अंतर्गत केवल अंतिम जाँच परिणाम जारी किए जाने से पूर्व किया जाना अपेक्षित है। नियमावली में प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी किए जाने से पूर्व प्रकटीकरण विवरण जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

28. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

    i. कांगहुई समूह ने प्रस्तुत किया कि उसके प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों का भारत को किए गए निर्यातों में लगभग 90% हिस्सा था और उन्होंने पूर्ण तथा सत्यापन योग्य सूचना उपलब्ध कराकर जांच में पूरा सहयोग किया है। अतः केवल सीमित

मात्रा संभालने वाले और समूह के नियंत्रण में न होने वाले असंबद्ध व्यापारियों की गैर-प्रतिभागिता के कारण समूह के उत्तर को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए अथवा उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

ii. यह प्रस्तुत किया गया कि कांगहुई समूह के लिए निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन प्रतिभागी इकाइयों के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। ऐसे आंकड़ों की उपेक्षा करने के लिए "अपूर्ण मूल्य श्रृंखला" की अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि न तो पाटनरोधी नियमावली और न ही डब्ल्यूटीओ करार वितरण श्रृंखला के प्रत्येक असंबद्ध मध्यस्थ की प्रतिभागिता की स्पष्ट रूप से अपेक्षा करते हैं।

iii. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक व्यापारी की प्रतिभागिता की अपेक्षा करना पूर्व प्रथा से भिन्न है और निर्यातकों पर अतिरिक्त बोझ डालता है। यूरोपीय संघ और यूएसए जैसे प्राधिकारियों की प्रथा का भी उल्लेख किया गया, जहां प्रत्येक मध्यस्थ व्यापारी की गैर-प्रतिभागिता के बावजूद असंबद्ध इकाइयों को की गई बिक्री के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की जा सकती है।

iv. कांगहुई समूह ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग केवल गैर-प्रतिभागी असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से किए गए सीमित निर्यातों पर किया गया, तथापि ऐसे लेनदेनों की निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए अपनाए गए आधार और पद्धति का पर्याप्त प्रकटन नहीं किया गया है। समूह के अनुसार, अपनाए गए मूल्यों से उसकी भारित औसत निर्यात कीमत कम हुई और परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन बढ़ गया, जबकि उसके अधिकांश निर्यातों के लिए सत्यापित लेनदेन-वार आंकड़े उपलब्ध थे।

v. चीन जन. गण. के संबंध में प्रस्तुत किया गया कि चीन के डब्ल्यूटीओ परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(ii) की अवधि 11 दिसंबर 2016 को समाप्त होने के बाद चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य सहयोगी चीनी उत्पादकों के लागत और कीमत संबंधी आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

vi. अकीज बायएक्स और जियांगसू शुआंगशिंग ने जांच में पूर्ण सहयोग किया है और अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन से उनकी सत्यापित सूचना का उपयोग किया जाना चाहिए।

vii. समान अथवा समान प्रकार के उत्पादों की उचित तुलना और पाटन मार्जिन के सटीक निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए पाटन मार्जिन की गणना पीसीएन पद्धति के आधार पर की जानी चाहिए, जैसा कि सामान्यतः डीजीटीआर सहित सभी प्राधिकारी करते हैं।

viii. चूंकि अकीज बायएक्स ने केवल 4 पीसीएन का निर्यात किया है, इसलिए भारित औसत मार्जिन से सही शुल्क प्राप्त नहीं होगा। अतः 206 अमेरिकी डॉलर/एमटी का शुल्क सही नहीं है।

ix. निर्यात प्रोत्साहन निर्यात के एफओबी मूल्य से सीधे जुड़ा है और अंतरराष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अनुमति दिए जाने के अनुरूप इसे निर्यात कीमत में समायोजित किया जाना चाहिए।

छ.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

29. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. प्राधिकारी ने कांगहुई समूह के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर भरोसा किया है और अनुच्छेद 6.8 तथा नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग केवल उन निर्यात लेनदेनों पर किया है जो ऐसे असहयोगी असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से किए गए जिनके संबंध में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं थी। यह दृष्टिकोण उन अन्य जांच प्राधिकारियों की प्रथा के अनुरूप भी बताया गया है जहां निर्यात शृंखला में शामिल इकाइयों से संगत सूचना उपलब्ध नहीं होती।

ii. अपनाई गई पीसीएन पद्धति के आधार पर प्रत्येक पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पहुंच कीमत तथा परिणामी पाटन और क्षति मार्जिन की गणना की जानी चाहिए।

iii. कांगहुई समूह का बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा विलंबित होने के कारण अस्वीकार किया जाना चाहिए। यद्यपि चीन के डब्ल्यूटीओ परिग्रहण प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(ii) 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गई, धारा 15(क)(i) अभी भी लागू है; तदनुसार चीनी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

iv. निर्यात कीमत में निर्यात प्रोत्साहन तथा सामान्य मूल्य में विपणन और अंतर्देशीय

परिवहन व्यय के कारण मांगे गए समायोजन को तब तक अस्वीकार किया जाना चाहिए जब तक निर्यातक प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन/किए गए व्यय और विचाराधीन उत्पाद के बीच संबंध स्थापित न कर सके।

v. समायोजन के दावों को स्वीकार करने अथवा निर्यातकों के आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित करने से पहले प्राधिकारी को संबंधित निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सटीकता, पूर्णता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु उसका सत्यापन करना चाहिए।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

30. प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन अलग-अलग निर्धारित किया है और उसके बाद प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक का पाटन मार्जिन पीसीएन-वार पाटन मार्जिनों का भारित औसत लेकर निर्धारित किया गया है, जिसमें जांच की अवधि के दौरान प्रत्येक पीसीएन में किए गए निर्यात की सापेक्ष मात्रा को भार के रूप में लिया गया है। पीसीएन-वार तुलनाओं को समेकित करते समय प्राधिकारी ने ऐसी सभी तुलनाओं की पूरी राशि को ध्यान में रखा है, जिनमें निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से अधिक थी, वे भी शामिल हैं।

31. यह नोट किया जाता है कि धारा 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है, तथापि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के साथ पठित परिग्रहण प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के अनुसार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करते समय पूरक प्रश्नावली में उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मामले में चीन के किसी भी प्रतिभागी उत्पादक ने प्राधिकारी द्वारा जारी अतिरिक्त प्रश्नावली का उत्तर देकर बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर किया जाएगा; और जहां ऐसा संभव न हो, किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर,

जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत भी शामिल है, जिसे आवश्यक होने पर युक्तिसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने हेतु समायोजित किया जाएगा।"

32. कांगहुई समूह ने तर्क दिया कि कुछ असंबद्ध व्यापारियों की गैर-प्रतिभागिता के बावजूद उसकी निर्यात कीमत सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि ऐसे व्यापारियों का समूह के निर्यातों में केवल छोटा हिस्सा था। समूह ने यूरोपीय संघ और यूएसए के प्राधिकारियों की कथित प्रथा पर भी भरोसा किया। प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सत्यापित सूचना के आधार पर उनके निर्यातों की सीमा तक निर्यात कीमत निर्धारित की है। तथापि, उन असहयोगी असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से किए गए निर्यातों के संबंध में, जिन्होंने प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किए, निर्यात श्रृंखला, निर्यात कीमत और पहुंच कीमत के बारे में पूर्ण सूचना अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थी। इसलिए उत्तर को केवल उस सीमित सीमा तक अपूर्ण माना गया और ऐसे लेनदेनों की निर्यात कीमत पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

33. प्रारंभिक निष्कर्षों के चरण में सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का अस्थायी निर्धारण उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, बाद के सत्यापन के अधीन, किया गया था। प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन किया और तदनुसार नीचे दिए अनुसार सत्यापित सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की है।

छ.3.1. बांग्लादेश के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

बांग्लादेश के लिए सामान्य मूल्य

अकीज बायएक्स फिल्म्स लिमिटेड (अकीज) के लिए सामान्य मूल्य

34. जांच की अवधि के दौरान अकीज बायएक्स फिल्म्स लिमिटेड (अकीज) ने [***] एमटी विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात किया, जबकि घरेलू बाजार में [***] एमटी संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की। प्राधिकारी नोट करता है कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री की मात्रा सामान्य मूल्य को घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित

करने के लिए पर्याप्त है।

35. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने अकीज की घरेलू बिक्री के लेनदेनों की पीसीएन-वार जांच की और घरेलू बिक्री कीमत की संबंधित उत्पादन लागत से तुलना कर सामान्य व्यापार क्रम की जांच की। यह देखा गया कि संबंधित पीसीएन के लिए उपलब्ध घरेलू बिक्री लेनदेन सभी हानि पर किए गए थे और इसलिए, वे व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में की गई बिक्री के रूप में मान्य नहीं थे। तदनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री कीमतों पर विचार नहीं किया जा सका। अतः प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए संबंधित उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तिसंगत लाभ के लिए उचित समायोजन करते हुए निर्मित सामान्य मूल्य (सीएनवी) अलग-अलग निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

बांग्लादेश के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

36. बांग्लादेश के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

बांग्लादेश के लिए निर्यात कीमत

अकीज बायएक्स फिल्म्स लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

37. अकीज ने [***] एमटी विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात किया है। सभी बिक्री सीधे असंबद्ध ग्राहकों को की गई है।

38. निर्यात कीमत का निर्धारण अकीज द्वारा असंबद्ध ग्राहकों से वसूली गई कीमत के आधार पर किया गया है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत, बैंक प्रभार, पैकिंग लागत, निर्यात प्रोत्साहन और अप्रत्यक्ष बिक्री व्यय के लिए समायोजन का दावा किया। प्राधिकारी ने अप्रत्यक्ष बिक्री व्यय और निर्यात प्रोत्साहन को छोड़कर अन्य दावाकृत समायोजनों की अनुमति दी है। अप्रत्यक्ष बिक्री व्यय के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि ऐसे व्यय एक्स-फैक्टरी

स्तर के बाद नहीं किए जाते और इसलिए एक्स-फैक्टरी कीमत पर पहुंचने के लिए उनका समायोजन आवश्यक नहीं है। निर्यात प्रोत्साहनों के संबंध में यह नोट किया गया कि भारत को निर्यातित उत्पाद से सीधे जुड़े स्पष्ट रूप से सत्यापन योग्य साक्ष्य से निर्यात प्रोत्साहन के समायोजन के दावे को पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका। अतः प्राधिकारी ने निर्यात कीमत में ऐसे व्यय का समायोजन करना उचित नहीं पाया। पीसीएन-वार निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है और भारित औसत निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

बांग्लादेश के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

39. बांग्लादेश के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.2. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

40. जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। पैरा 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए क्रम निर्धारित करता है और प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर किया जाए; और जहां ऐसा संभव न हो, किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर, जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत भी शामिल है, जिसे आवश्यक होने पर युक्तिसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने हेतु समायोजित किया जाए। वर्तमान मामले में किसी हितबद्ध पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत अथवा निर्मित मूल्य का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए पहला विकल्प लागू नहीं किया जा सका। दूसरे, प्राधिकारी ने जांच की कि क्या उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यातित समान वस्तु की कीमत का उपयोग किया जा सकता है। तथापि, संबद्ध देशों के अतिरिक्त अन्य देशों से भारत में आयात की मात्रा

कम थी और सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय आधार उपलब्ध नहीं कराती थी। अतः पहले दो विकल्प विश्वसनीय और उपयोग योग्य रूप में उपलब्ध न होने पर प्राधिकारी ने पैरा 7 में उल्लिखित तीसरे आधार, अर्थात् "किसी अन्य युक्तिसंगत आधार, जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत भी शामिल है, जिसे आवश्यक होने पर युक्तिसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने हेतु समायोजित किया जाए", पर आगे कार्यवाही की है।

41. तदनुसार, प्राधिकारी ने अनुबंध-I के पैरा 7 में परिकल्पित भारत में भुगतान योग्य कीमत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रयोजन से सामान्य मूल्य का निर्माण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के संदर्भ में किया गया, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा युक्तिसंगत लाभ के लिए उचित समायोजन किया गया। जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति को देखते हुए प्रत्येक पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य अलग-अलग निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित भारित औसत सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

42. यह भी उल्लेख किया जाता है कि चीन जन. गण. से बड़ी संख्या में उत्तर प्राप्त होने के कारण प्राधिकारी ने वहां के उत्पादकों का नमूना चयन करने पर विचार किया। इसका प्रस्ताव 23 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया। विभिन्न पक्षकारों की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद नमूना उत्पादकों को 9 जनवरी 2026 की अधिसूचना द्वारा सूचित किया गया। नमूना भारत को निर्यात की मात्रा के आधार पर चुना गया और सर्वाधिक निर्यात मात्रा वाले उत्पादकों/उत्पादक समूहों को नमूने में शामिल किया गया। ऐसे नमूना उत्पादकों के निर्यात सहयोगी निर्यातकों के कुल निर्यात की मात्रा का 66% थे। व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए चीन जन. गण. के निम्नलिखित उत्पादकों को उनके संबंधित निर्यातकों सहित चुना गया -

क्र. सं.	उत्पादक/निर्यातक समूह
1	कांगहुई न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन कांगहुई नानटोंग न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन कांगहुई इंटरनेशनल ट्रेड (जियांगसू) कंपनी लिमिटेड, चीन (व्यापारी) जियांगसू कांगहुई न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन
2	जियांगसू शुआंगशिंग कलर प्लास्टिक न्यू मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड, चीन

चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत

कांगहुई समूह के लिए निर्यात कीमत

43. जियांगसू कांगहुई न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (जियांगसू कांगहुई), कांगहुई न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (कांगहुई न्यू मटीरियल) और कांगहुई नानटोंग न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (कांगहुई नानटोंग) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण में संलग्न संबंधित कंपनियां हैं। जांच की अवधि के दौरान तीनों कंपनियों ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात संबंधित व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल ट्रेड जियांगसू कंपनी लिमिटेड (कांगहुई इंटरनेशनल) के माध्यम से किया। कांगहुई इंटरनेशनल ने आगे संबद्ध वस्तुओं को सीधे भारत में असंबद्ध ग्राहकों तथा असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से बेचा।

44. जियांगसू कांगहुई ने जांच की अवधि के दौरान कुल [***] एमटी की बिक्री की, जिसमें से [***] एमटी संबंधित व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल के माध्यम से निर्यात किया गया, जिसने इस मात्रा को सीधे भारत में असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात किया, और [***] एमटी संबंधित व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल के माध्यम से निर्यात किया गया, जिसने आगे विचाराधीन उत्पाद को भारत को निर्यात करने के लिए असंबद्ध व्यापारियों सनराइज और यूनाइटेड को बेचा। कुल [***] एमटी में से [***] एमटी संबंधित व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल के माध्यम से निर्यात किया गया, जिसने आगे विचाराधीन उत्पाद को भारत को निर्यात करने के लिए असंबद्ध व्यापारियों को बेचा। तथापि, ऐसे असंबद्ध व्यापारियों ने वर्तमान जांच में प्रतिभागिता नहीं की।

45. कांगहुई नानटोंग ने जांच की अवधि के दौरान संबंधित व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल के माध्यम से कुल [***] एमटी मात्रा का निर्यात किया, जिसने यह मात्रा सीधे भारत में असंबद्ध ग्राहकों को निर्यात की।

46. कांगहुई न्यू मटीरियल ने जांच की अवधि के दौरान संबंधित व्यापारी कांगहुई इंटरनेशनल के माध्यम से कुल [***] एमटी का निर्यात किया। कांगहुई इंटरनेशनल ने बदले में यही मात्रा भारत को आगे निर्यात करने के लिए असंबद्ध व्यापारी को बेची। तथापि, ऐसे असंबद्ध व्यापारियों ने वर्तमान जांच में प्रतिभागिता नहीं की।

जियांगसू कांगहुई → कांगहुई इंटरनेशनल → भारत में असंबद्ध ग्राहक [*** एमटी]

जियांगसू कांगहुई → कांगहुई इंटरनेशनल → सनराइज → भारत में असंबद्ध ग्राहक

[*** एमटी]

जियांगसू कांगहुई → कांगहुई इंटरनेशनल → यूनाइटेड → भारत में असंबद्ध ग्राहक [*** एमटी]

जियांगसू कांगहुई → कांगहुई इंटरनेशनल → असहयोगी व्यापारी → भारत में असंबद्ध ग्राहक [*** एमटी]

कांगहुई नानटोंग → कांगहुई इंटरनेशनल → भारत में असंबद्ध ग्राहक [*** एमटी]→→ कांगहुई न्यू मटीरियल → कांगहुई इंटरनेशनल → असहयोगी व्यापारी → भारत में असंबद्ध ग्राहक [*** एमटी]

47. यह नोट किया जाता है कि कांगहुई समूह ने संबंधित और असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से भारत को कुल [***] एमटी का निर्यात किया है। कुल निर्यातों में से थोड़ी मात्रा ऐसे असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात की गई जिन्होंने वर्तमान जांच में प्रतिभागिता नहीं की। ऐसे निर्यातों के संबंध में निर्यात शृंखला, निर्यात कीमत और पहुंच कीमत की पूर्ण सूचना अभिलेख पर उपलब्ध न होने के कारण प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसे निर्यातों की निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है।

48. निर्यात कीमत का निर्धारण चैनल-वार आधार पर प्रथम असंबद्ध खरीदार/ग्राहक को की गई बिक्री की कीमत के आधार पर किया गया है तथा एक्स-फैक्टरी स्तर तक पहुँचने के लिए लागू समायोजन किए गए हैं।

जियांगसू शुआंगशिंग कलर प्लास्टिक न्यू मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

49. जियांगसू शुआंगशिंग कलर प्लास्टिक न्यू मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड (जियांगसू शुआंगशिंग) ने [***] एमटी विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात किया है। सभी बिक्री सीधे असंबद्ध ग्राहकों को की गई है।

50. निर्यात कीमत का निर्धारण निर्यातक द्वारा असंबद्ध ग्राहकों से वसूली गई कीमत के आधार पर किया गया है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा और बंदरगाह संबंधी व्यय, ऋण लागत तथा बैंक प्रभार के लिए समायोजन का दावा किया। प्राधिकारी ने दावाकृत समायोजनों की अनुमति दी है। पीसीएन-वार निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है और भारित औसत निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

चीन जन. गण. के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

51. अन्य सभी सहयोगी गैर-नमूना उत्पादकों का पाटन मार्जिन सहयोगी नमूना उत्पादकों के भारित औसत पाटन मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया गया है। वर्तमान जांच में प्रतिभागिता न करने वाले अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों की निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.3. थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

52. जांच की अवधि के दौरान ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कंपनी लिमिटेड ने [***] एमटी विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात किया, जबकि घरेलू बाजार में [***] एमटी संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की। प्राधिकारी नोट करता है कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री की मात्रा सामान्य मूल्य को घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है।

53. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने ए.जे. प्लास्ट द्वारा अपने घरेलू बाजार में किए गए घरेलू बिक्री लेनदेनों की जांच की। संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाले घरेलू बिक्री लेनदेनों का निर्धारण करने हेतु पीसीएन-वार सामान्य व्यापार क्रम की जांच की गई। जिन पीसीएन में 80% से अधिक बिक्री लाभ पर हुई, वहां सामान्य मूल्य सभी बिक्री लेनदेनों की एक्स-फैक्टरी बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया। जहां 80% से कम बिक्री लाभ पर हुई, वहां सामान्य मूल्य केवल लाभप्रद बिक्री की एक्स-फैक्टरी बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया।

54. ए.जे. प्लास्ट ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, पैकिंग लागत और विपणन लागत के कारण कीमत समायोजन का दावा किया। दावाकृत समायोजनों की अनुमति दी गई है। विचार किए गए पीसीएन को देखते हुए प्राधिकारी ने पीसीएन-वार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। एक्स-फैक्टरी स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य की गणना की गई है और भारित औसत सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

थाईलैंड के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

55. थाईलैंड के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

थाईलैंड के लिए निर्यात कीमत

ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत

56. ए.जे. प्लास्ट ने [***] एमटी विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात किया है। सभी बिक्री सीधे असंबद्ध ग्राहकों को की गई है।

57. निर्यात कीमत का निर्धारण निर्यातक द्वारा असंबद्ध ग्राहकों से वसूली गई कीमत के आधार पर किया गया है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, पैकिंग लागत, कमीशन और शुल्क वापसी के लिए समायोजन का दावा किया। प्राधिकारी ने शुल्क वापसी को छोड़कर अन्य दावाकृत समायोजनों की अनुमति दी है। शुल्क वापसी के कारण मांगे गए समायोजन के संबंध में यह नोट किया गया कि भारत को निर्यातित उत्पाद से सीधे जुड़े स्पष्ट रूप से सत्यापन योग्य साक्ष्य से शुल्क वापसी के समायोजन के दावे को पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका। अतः यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सका। पीसीएन-वार निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है और भारित औसत निवल निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

थाईलैंड के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

58. थाईलैंड के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.4. पाटन मार्जिन

59. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है।

<u>पाटन मार्जिन तालिका</u>

क्र. सं.	**उत्पादक**	**सामान्य मूल्य (अमेरिकी डॉलर/एमटी)**	**निर्यात कीमत (अमेरिकी डॉलर/एमटी)**	**पाटन मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/एमटी)**	**पाटन मार्जिन %**	**पाटन मार्जिन % रेंज**
क.	**बांग्लादेश**					
1	अकीज बायएक्स फिल्म्स लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
2	अन्य कोई	***	***	***	***	10-20
ख.	**चीन जन. गण.**					
1	जियांगसू कांगहुई न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	15-25
2	कांगहुई नानटोंग न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
3	कांगहुई न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (सामूहिक रूप से “कांगहुई समूह”)	***	***	***	***	20-30
4	**भारित औसत**	***	***	***	***	**20-30**
5	जियांगसू शुआंगशिंग कलर प्लास्टिक न्यू मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
6	**अन्य गैर-नमूना सहयोगी उत्पादक**	***	***	***	***	**10-20**
7	अन्य कोई	***	***	***	***	25-35
ग.	**थाईलैंड**					
1	ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20

2	अन्य कोई	***	***	***	***	30-40

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

60. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

  i. यह प्रस्तुत किया गया कि संबद्ध आयातों में वृद्धि ने केवल भारतीय मांग में हुई वृद्धि की पूर्ति की और घरेलू उद्योग के उत्पादन अथवा बिक्री को विस्थापित नहीं किया। वास्तव में अधिक मांग के बावजूद 2023-24 में आयात घटे थे और उनकी बाजार हिस्सेदारी केवल लगभग ***% रही, जो हितबद्ध पक्षकारों के अनुसार वास्तविक क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने का भी अनुरोध किया गया कि संबद्ध आयातों की मात्रा निर्धारित करते समय थर्मल लैमिनेटेड फिल्म को बाहर रखा गया था अथवा नहीं।

  ii. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि संबद्ध आयातों से कोई महत्वपूर्ण कीमत क्षति नहीं हुई। उन्होंने महत्वपूर्ण कीमत कटौती/कीमत दबाव के अभाव पर भरोसा किया और तर्क दिया कि पहुंच कीमतों में गिरावट प्रमुख कच्चे माल, विशेष रूप से पीटीए और एमईजी की वैश्विक कीमतों में गिरावट को दर्शाती है, जो कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सामान्य होने के बाद हुई।

  iii. यह प्रस्तुत किया गया कि घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मानदंड सकारात्मक रहे और क्षमता, उत्पादन, बिक्री, रोजगार, वेतन तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई। क्षमता उपयोग में गिरावट का मुख्य कारण घरेलू उद्योग द्वारा अपनी मौजूदा क्षमता का पूर्ण उपयोग न होने के बावजूद पर्याप्त क्षमता वृद्धि बताया गया; यह दावा किया गया कि ऐसा विस्तार न होने पर क्षमता उपयोग लगभग 85-90% बना रहता।

  iv. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि लाभप्रदता में गिरावट को संबद्ध आयातों के कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि हानियां 2022-23 में शुरू हुईं जब कथित रूप से आयात दबाव नहीं था, और उसके बाद पीओआई में उस समय भी हानियां कम हुईं जब पहुंच कीमतें सबसे कम थीं। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अत्यधिक क्षमता विस्तार से मूल्यह्रास और ब्याज लागत बढ़ी और हानियों में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। अतः प्राधिकारी से वास्तविक कारण की पहचान के लिए त्रैमासिक

आधार पर निष्पादन, विशेष रूप से पीओआई की चौथी तिमाही की हानियों, की जांच करने का अनुरोध किया गया।

v. यह प्रस्तुत किया गया कि यदि कोई क्षति हुई भी है तो वह संबद्ध आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों, जिनमें नए घरेलू उत्पादकों से बढ़ी प्रतिस्पर्धा, मौजूदा भारतीय उत्पादकों की क्षमता वृद्धि और कथित यूएस-ईरान संघर्ष से उत्पन्न व्यवधान शामिल हैं, के कारण हो सकती है। अतः प्राधिकारी से उचित गैर-आरोपण विश्लेषण करने और यह स्थापित करने का अनुरोध किया गया कि क्षति पाटित आयातों के कारण हुई, न कि इन अन्य कारकों के कारण।

vi. हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी से ताइवान को जांच से बाहर रखने के आधार को स्पष्ट करने का भी अनुरोध किया, विशेष रूप से तब जब ताइवान से आयातों की कीमत संबद्ध देशों से औसत आयात कीमत से कम बताई गई थी। व्यापक रूप से उन्होंने प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध पर कोई निष्कर्ष निकालने से पहले डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 तथा यूएस - हॉट-रोल्ड स्टील और ईसी - ट्यूब ऑर पाइप फिटिंग्स में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार सभी संगत क्षति और कारण संबंधी मानदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की जाए।

ज.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

61. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. प्राधिकारी को अपने प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करनी चाहिए कि क्षति अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा बढ़ी, जबकि पहुंच कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट आई, जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई।

ii. अस्थायी पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति जारी रही, जो पीओआई के बाद की अवधि में गंभीर रूप से बढ़ गई है।

iii. वर्तमान जांच लंबित रहने के दौरान पीओआई के बाद की अवधि में आयातों की मात्रा 17% बढ़ी है।

iv. प्राधिकारी को बाद की अवधि के लिए डीजी सिस्टम्स से आयात आंकड़े मंगाकर अंतिम निष्कर्षों में उन पर विचार करना चाहिए।

v. क्षति अवधि और बाद की अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा मांग में वृद्धि की

तुलना में अधिक दर से बढ़ी, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि आयातों में वृद्धि मांग की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि बाजार पर कब्जा करने के लिए हुई।

vi. घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता बढ़ाने के बाद उत्पादन और आपूर्ति बढ़ने के कारण 2023-24 में आयातों की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में घटी। तथापि, प्रारंभिक निष्कर्षों में देखे गए अनुसार 2023-24 में आयातों की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में अभी भी 24% अधिक थी।

vii. भारत के कुल आयातों का 52% तथा घरेलू बाजार का महत्वपूर्ण हिस्सा रखने वाले संबद्ध आयात नियमावली के नियम 14 के अर्थ में नगण्य नहीं हैं। इस संबंध में यूरोपीय आयोग बाजार हिस्सेदारी के केवल 1% वाले आयातों को भी महत्वपूर्ण मानता है।

viii. पीओआई के बाद की अवधि में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में और 5% की गिरावट आई है।

ix. प्रारंभिक निष्कर्ष दर्शाते हैं कि क्षति अवधि में पहुंच कीमत लगातार घटी और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से केवल मामूली अधिक रही, जिससे घरेलू उद्योग को हानि पर बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ा।

x. ट्रेड मैप आंकड़ों के अनुसार, जहां पीटीए की कीमतें बढ़ी हैं, वहीं क्षति अवधि में एमईजी की कीमतें केवल मामूली घटी हैं। इसके विपरीत, पहुंच कीमत लगातार घटी है और पीटीए तथा एमईजी की कीमतों के अनुरूप नहीं चली है।

xi. अन्य पक्षकारों के दावे के विपरीत, संबद्ध आयातों ने घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण दबाव डाला और घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें घटाने तथा लागत से कम पर बिक्री करने के लिए विवश किया।

xii. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में ***% की वृद्धि हुई, जो कच्चे माल की लागत में ***% की वृद्धि के सीधे अनुपात में थी।

xiii. घरेलू उद्योग की ब्याज और मूल्यह्रास लागत में वृद्धि के बावजूद इन लागतों का कुल लागत में केवल 2-3% हिस्सा था। दूसरी ओर, कच्चे माल की लागत बढ़ी, जिसका घरेलू उद्योग की कुल लागत में ***% हिस्सा था, जिसके परिणामस्वरूप कुल लागत में वृद्धि हुई।

xiv. घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ने के कारण 2023-24 तक उत्पादन और बिक्री मात्रा बढ़ी, किंतु यह उसकी लाभप्रदता की कीमत पर हुआ। तथापि, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग ने अपनी हानियों को नियंत्रित करने के लिए कीमतें बढ़ाईं,

जिसके कारण ये मात्राएं घटीं।

xv. यद्यपि घरेलू उद्योग ने कम क्षमता उपयोग पर कार्य करते हुए भी अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं, इससे यह तथ्य समाप्त नहीं होता कि संबद्ध आयातों ने उसकी कीमतों पर दबाव बनाया, जो उसकी बिगड़ती लाभप्रदता से स्पष्ट है।

xvi. प्रारंभिक निष्कर्ष दर्शाते हैं कि घटती पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों और परिणामस्वरूप उसकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, यद्यपि उसके मात्रा संबंधी मानदंडों में सुधार हुआ।

xvii. पहुंच कीमत में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को पीओआई के बाद की अवधि में भी भारी हानि, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ा है।

xviii. घरेलू उद्योग को 2022-23 से संबद्ध आयातों की बढ़ी मात्रा और अत्यंत कम कीमतों के कारण हानि हुई है और जांच की अवधि में वह अपनी कीमत बढ़ाकर हानि कम कर सका, न कि संबद्ध आयातों के कारण।

xix. यदि संबद्ध देशों के निर्यातकों को संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रखने दिया गया तो घरेलू उद्योग को हानि जारी रहेगी और उसके पास अपना ध्यान निर्यात बाजार तथा अन्य उत्पादों की ओर मोड़ने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहेगा।

xx. अंतिम शुल्क लगाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि प्रारंभिक निष्कर्षों तथा जांच की अवधि के बाद घरेलू उद्योग की बिगड़ती स्थिति से स्पष्ट है कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग को आगे क्षति पहुंचाने का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

xxi. डब्ल्यूटीओ करार का अनुच्छेद 3.4 और नियमावली के अनुबंध-I का पैरा 4 प्राधिकारी से घरेलू उद्योग के प्रत्येक आर्थिक मानदंड पर क्षति निर्धारित करने की अपेक्षा नहीं करते। प्राधिकारी ने पूर्व में भी उन मामलों में अंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की है जहां संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत और लाभप्रदता प्रभावित हुई, जबकि उसके मात्रा संबंधी मानदंडों में सुधार हुआ।

xxii. प्राधिकारी को यह निर्धारित करना आवश्यक है कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक कारण थे, न कि क्षति का एकमात्र कारण, जैसा कि डब्ल्यूटीओ पैनल ने यू.एस. - जापान से हॉट-रोल्ड स्टील उत्पाद में उल्लेख किया है।

xxiii. उत्पादकता में वृद्धि इस तथ्य को समाप्त नहीं करती कि संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयातों की बढ़ी मात्रा के कारण घरेलू उद्योग को हानि हुई है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

62. प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्ष जारी होने के बाद घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्कों और प्रत्युत्तर तर्कों की जांच की है। नीचे प्राधिकारी का विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में घरेलू उद्योग को हुई क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटन के बीच कारणात्मक संबंध की पहले ही जांच की थी। जिस सीमा तक प्रारंभिक निष्कर्षों में इसकी जांच हो चुकी है, वर्तमान अंतिम निष्कर्षों में उसे पुनः नहीं जांचा गया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के सत्यापन के फलस्वरूप नीचे स्पष्ट रूप से किए गए संशोधनों को छोड़कर, प्रारंभिक निष्कर्षों में जांचे और दर्ज किए गए क्षति तथा कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्ष इन अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजन से अपरिवर्तित रहते हैं।

63. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि देश में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा निर्धारित करते समय थर्मल लैमिनेटेड फिल्म को बाहर रखा गया था अथवा नहीं। इस मुद्दे की जांच की गई है और यह पुष्टि की जाती है कि वर्तमान जांच में विचार की गई संबद्ध आयातों की मात्रा में थर्मल लैमिनेटेड फिल्म के किसी आयात को शामिल नहीं किया गया है।

64. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को केवल जांच की अवधि की चौथी तिमाही में हुई हानियों के कारण का पता लगाने के लिए क्षति मानदंडों का त्रैमासिक विश्लेषण करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करता है कि नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के अंतर्गत क्षति की जांच समग्र क्षति अवधि के लिए की जानी आवश्यक है और इसे उस अवधि की विशिष्ट तिमाहियों तक सीमित नहीं किया जा सकता। अभिलेख पर उपलब्ध सूचना 2022-23 से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में लगातार और स्थायी गिरावट दर्शाती है और इसलिए जांच की अवधि की किसी एक तिमाही में उतार-चढ़ाव इस प्रवृत्ति को समाप्त नहीं करता।

65. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, ऐसा निष्कर्ष निकालने से पहले प्राधिकारी को सभी क्षति मानदंडों की जांच करनी आवश्यक है, विशेष रूप से क्योंकि घरेलू उद्योग की क्षमता और अन्य मात्रा संबंधी मानदंडों में वृद्धि क्षति

के अभाव को दर्शाती है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) में निर्धारित सभी मानदंडों की जांच की है। प्रत्येक मानदंड की स्पष्ट रूप से जांच की गई है, जिसके आधार पर प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि जहां कुछ मानदंड अवधि के दौरान सुधार दर्शा सकते हैं, वहीं प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ऐसा निष्कर्ष निकालने से पहले प्रत्येक मानदंड में गिरावट होना आवश्यक नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात से द्विअक्षीय रूप से अभिमुख पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म पर पाकिस्तान के पाटनरोधी उपायों (डीएस 538) में डब्ल्यूटीओ पैनल ने भी यही नोट किया और यह पाया कि प्राधिकारी द्वारा जांचे गए सभी मानदंडों का क्षति दर्शाना आवश्यक नहीं है, बशर्ते समग्र जांच क्षति के निष्कर्ष का समर्थन करती हो।

"यद्यपि जांच प्राधिकारी को अनुच्छेद 3.4 में सूचीबद्ध कारकों का आकलन करना आवश्यक है, यह प्रावधान यह अपेक्षा नहीं करता कि सभी कारक क्षति के सूचक हों। जांच प्राधिकारी यह पा सकता है कि कुछ कारक संगत नहीं हैं अथवा उनकी संगतता सीमित है और ऐसे निष्कर्षों का आधार समझा सकता है। और जांच प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति होने का निष्कर्ष तब भी निकाल सकता है जब कुछ संगत व्यक्तिगत कारक क्षति के सूचक न हों, बशर्ते प्राधिकारी पर्याप्त रूप से यह समझाए कि संगत आर्थिक कारकों और सूचकों का उसका मूल्यांकन समग्र क्षति निर्धारण का समर्थन किस प्रकार करता है।"

66. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2025-26 के लिए भी कुछ सूचना प्रस्तुत की है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना दर्शाती है कि आयात बढ़े हैं, जबकि आयातों की पहुंच कीमत घटी है, जिससे घरेलू उद्योग को आगे और क्षति हुई है। घरेलू उद्योग ने पीओआई के बाद की अवधि में आयातों में वृद्धि की जांच के लिए प्राधिकारी से डीजी सिस्टम्स के आयात आंकड़े मंगाने का अनुरोध भी किया है। तथापि, ऐसी अवधि की सूचना प्राधिकारी को क्षति अवधि के आधार पर किसी भी मानदंड के संबंध में अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित नहीं करती।

67. तदनुसार, ऐसी सूचना क्षति अवधि के लिए जांचे गए किसी भी क्षति मानदंड के संबंध में प्राधिकारी को भिन्न निष्कर्ष पर नहीं ले जाती।

क्षति का संचयी आकलन

68. प्रारंभिक निष्कर्षों में प्राधिकारी ने नोट किया था कि:

i. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का भारत में पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश का पाटन मार्जिन नियमावली में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ii. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा कुल आयात मात्रा के 3% से अलग-अलग अधिक है।

iii. आयातित वस्तु और घरेलू समान वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उचित है।

69. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने बांग्लादेश, चीन जन. गण. और थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव का आकलन करना उचित माना। प्रारंभिक निष्कर्षों में निकाले गए निष्कर्षों को बदलने हेतु किसी हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ज.3.1. पातित आयातों का मात्रा प्रभाव

क) मांग/प्रत्यक्ष खपत का आकलन

70. भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग बढ़ी और जांच की अवधि में सर्वाधिक रही।

मांग	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
घरेलू उद्योग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	118	126	116
अन्य भारतीय उत्पादक + समर्थक	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	132	136	157
संबद्ध आयात	एमटी	14,607	27,541	18,249	41,719
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	189	125	286
अन्य आयात	एमटी	27,035	35,193	38,311	39,080
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	130	142	145
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	127	132	141

71. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि संबद्ध आयात कुल मांग का केवल 5% नगण्य हिस्सा थे और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकते थे। प्राधिकारी इस तर्क में कोई गुण नहीं पाता। डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार अथवा पाटनरोधी नियमावली कोई ऐसी न्यूनतम मात्रा या बाजार हिस्सेदारी सीमा निर्धारित नहीं करते जिसके नीचे आयातों को क्षति पहुंचाने में असमर्थ माना जाए। प्राधिकारी को केवल यह जांचना है कि नियम 14(घ) के अनुसार संबद्ध आयातों की मात्रा कुल आयात मात्रा के 3% (अथवा संचयी रूप से 7%) से अधिक है या नहीं। संबद्ध आयात इस मानदंड को पूरा करते हैं। दूसरी ओर, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की स्थिति बिगड़ने के साथ संबद्ध आयातों की मात्रा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है, जो दर्शाता है कि ऐसे आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है।

ख) संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा

72. जैसा प्रारंभिक निष्कर्षों में नोट किया गया, 2023-24 में गिरावट को छोड़कर क्षति अवधि में संबद्ध आयात महत्वपूर्ण रूप से बढ़े और जांच की अवधि में सर्वाधिक रहे। भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में भी आयातों की मात्रा क्षति अवधि में बढ़ी। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि में संबद्ध आयात कुल आयातों का आधा हिस्सा थे।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	14,607	27,541	18,249	41,719
बांग्लादेश	एमटी	12	2,790	1,281	2,763
चीन जन. गण.	एमटी	1,785	6,955	6,483	26,086
थाईलैंड	एमटी	12,810	17,796	10,486	12,870
अन्य देश	एमटी	27,035	35,193	38,311	39,080
कुल आयात	एमटी	41,643	62,734	56,561	80,799
संबद्ध आयातों का निम्न के संबंध में अनुपात:					
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	153	89	189
खपत	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचकांक	100	149	95	202
कुल आयात	%	35%	44%	32%	52%
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	125	92	147

73. इस तर्क के संबंध में कि मांग में वृद्धि के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में आयातों की मात्रा में गिरावट मात्रा संबंधी क्षति के अभाव को दर्शाती है, यह नोट किया जाता है कि क्षमता वृद्धि के अनुसरण में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के कारण 2023-24 में आयातों की मात्रा घटी। तथापि, 2023-24 में आयातों की मात्रा 2021-22 की तुलना में अभी भी अधिक थी और 2024-25 में ऐसे आयात तेज़ी से बढ़े। अतः प्राधिकारी इस तर्क में कोई गुण नहीं पाता।

74. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध आयातों की मात्रा मांग में वृद्धि की पूर्ति के लिए बढ़ी, यह नोट किया जाता है कि आयात मांग की वृद्धि की तुलना में अधिक दर से बढ़े हैं। आधार वर्ष की तुलना में मांग 41% बढ़ी, जबकि आयातों में 186% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। अतः आयातों की वृद्धि ने मांग की वृद्धि को पीछे छोड़ दिया।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध आयात	एमटी	14,607	27,541	18,249	41,719
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	189	125	286
मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	127	132	141

ज.3.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

क) कीमत कटौती

75. कीमत कटौती का निर्धारण जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से करके किया गया है।

विवरण	**इकाई**	**पीओआई**
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/एमटी	***
पहुंच कीमत	₹/एमटी	1,22,910
कीमत कटौती	₹/एमटी	***

कीमत कटौती	%	***
रेंज	रेंज	0-10

76. यह नोट किया जाता है कि प्रारंभिक निष्कर्षों में गणना की गई कीमत कटौती नकारात्मक थी क्योंकि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत (1,22,910 रु./एमटी) निवल बिक्री प्राप्ति (*** रु./एमटी) से मामूली अधिक थी। तथापि, सत्यापित सूचना के आधार पर यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत (*** रु./एमटी) से कम थी और वे घरेलू कीमतों में कटौती कर रहे थे।

77. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि नकारात्मक कीमत कटौती दर्शाती है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू कीमतों पर दबाव नहीं डाला। तथापि, चूंकि कीमत कटौती सकारात्मक है, इसलिए इस तर्क की आगे जांच आवश्यक नहीं है। किसी भी स्थिति में वर्तमान स्थिति दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को आयातित वस्तुओं के समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए विवश किया जा रहा है। अतः यह आयातित वस्तुओं और घरेलू वस्तुओं के बीच कीमत प्रतिस्पर्धा की मौजूदगी दर्शाता है।

ख) कीमत दमन/ह्रास

78. प्रारंभिक निष्कर्षों में प्राधिकारी ने नोट किया था कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत क्षति अवधि के प्रत्येक वर्ष में घटी। जहां 2022-23 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत बढ़ी, वहीं उसने पहुंच कीमत के अनुरूप रहने के लिए अपनी बिक्री कीमत घटाई। इसके बाद, बिक्री लागत घटने के बावजूद बिक्री कीमत में कहीं अधिक दर से गिरावट आई। जांच की अवधि में बिक्री लागत बढ़ी। घरेलू उद्योग ने अपनी हानियों को नियंत्रित करने के लिए कीमतें बढ़ाईं। तथापि, पहुंच कीमत में लगातार गिरावट के कारण घरेलू उद्योग ने अपने उत्पाद लागत से कम कीमत पर बेचे। अतः आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया और उन कीमत वृद्धियों को रोका जो अन्यथा होतीं।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	113	105	106

निवल बिक्री प्राप्ति	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	94	81	93
पहुंच कीमत	₹/एमटी	1,47,411	1,44,150	1,24,911	1,22,910
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	85	83

79. इस तर्क के संबंध में कि पहुंच कीमत प्रमुख कच्चे माल पीटीए और एमईजी की वैश्विक कीमतों के अनुरूप घटी है, यह नोट किया जाता है कि पीटीए की कीमतें 2022-23 में बढ़ीं और उसके बाद केवल धीरे-धीरे घटीं। समग्र रूप से क्षति अवधि में पीटीए की कीमतें 11% बढ़ीं। एमईजी के संबंध में, कीमतें 2022-23 में मामूली बढ़ीं, 2023-24 में घटीं और उसके बाद जांच की अवधि में फिर बढ़ीं। समग्र रूप से एमईजी की कीमतें केवल 4% घटी हैं। इसके विपरीत, आयातों की पहुंच कीमत क्षति अवधि में लगातार घटी और कुल मिलाकर 13% की गिरावट दर्ज हुई। अतः प्राधिकारी इस दावे में कोई गुण नहीं पाता कि पहुंच कीमत कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के कारण घटी।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
पीटीए की वैश्विक कीमतें	₹/एमटी	56,781	72,200	68,900	62,831
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	127	121	111
एमईजी की वैश्विक कीमतें	₹/एमटी	51,395	51,893	47,106	49,307
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	101	92	96
पहुंच कीमत	₹/एमटी	1,47,411	1,44,150	1,24,911	1,22,910
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	85	83

स्रोत: ट्रेड मैप आंकड़े

ज.3.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

80. प्रारंभिक निष्कर्षों में यह नोट किया गया था कि घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता अवधि के दौरान बढ़ी है। घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री 2023-24 तक बढ़े, किंतु जांच की अवधि में घट गए। क्षति अवधि में घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग घटा है और घरेलू उद्योग को अप्रयुक्त क्षमता का सामना करना पड़ रहा है।

विवरण	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**

स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	132	162	162
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	116	129	123
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	88	80	76
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	118	126	116

81. यह दावा किया गया कि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताएं बढ़ाईं और इसी कारण क्षमता उपयोग में गिरावट आई। यदि क्षमताएं नहीं बढ़ाई जातीं तो घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का ***% तक उपयोग कर सकता था। यह नोट किया जाता है कि उत्पाद की बढ़ती मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग ने 2022-23 और 2023-24 में अपनी क्षमताएं बढ़ाईं। तथापि, इसी अवधि में आयातों की मात्रा कहीं अधिक दर से बढ़ी और पाटित कीमतों पर वृद्धिशील मांग पर कब्जा किया। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षमताएं अप्रयुक्त रहीं। यदि यह भी मान लिया जाए कि क्षमता उपयोग में गिरावट क्षमता बढ़ने के कारण हुई, तब भी यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमताएं नहीं बढ़ीं और मांग में वृद्धि के बावजूद क्षमता उपयोग घटा। अतः पक्षकारों के इस तर्क में कोई गुण नहीं है कि क्षमता उपयोग में गिरावट क्षमता वृद्धि के कारण हुई।

ख) बाजार हिस्सेदारी

82. घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों, संबद्ध आयातों और अन्य आयातों की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका के अनुसार है।

बाजार हिस्सेदारी	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
संबद्ध आयात	%	2%	4%	2%	5%
अन्य आयात	%	4%	5%	5%	5%

83. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी है। अन्य घरेलू उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी क्षति अवधि में बढ़ी है। इसी अवधि में संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ी है।

ग) माल-सूची

84. प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में नोट किया था कि घरेलू उद्योग की औसत माल-सूची क्षति अवधि में बढ़ी है, यद्यपि उत्पादन में गिरावट के साथ जांच की अवधि में उसमें मामूली कमी आई।

विवरण	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
प्रारंभिक माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
अंतिम माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
औसत माल-सूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	124	157	150

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

85. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में नोट किया था कि जहां घरेलू उद्योग 2021-22 में लाभ अर्जित कर रहा था, वहीं 2022-23 में उसे हानि होने लगी, जो 2023-24 में और बढ़ी। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की हानियां कम हुईं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि हानियां इसलिए कम हुईं क्योंकि उसने उन्हें नियंत्रित करने के लिए कीमतें बढ़ाईं। तथापि, घरेलू उद्योग हानि में ही रहा। समग्र रूप से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तीव्र गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के नकद लाभ में भी समग्र गिरावट हुई। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने 2022-23 से जांच की अवधि तक नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया।

विवरण	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	113	105	106
शुद्ध बिक्री प्राप्ति	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	94	81	93
लाभ/(हानि)	₹/एमटी	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(84)	(148)	(37)
लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(99)	(187)	(43)
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(37)	(101)	4
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	(41)	(77)	(6)

86. इस दावे के संबंध में कि जांच की अवधि में जब पहुंच कीमत सबसे कम थी तब घरेलू उद्योग की हानियां घटीं, यह देखा जाता है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतें बढ़ीं, जिसके परिणामस्वरूप हानियां कम हुईं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसे अपने उत्पादन और बिक्री की कीमत पर हानियों को नियंत्रित करने के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ीं। तथापि, कीमतें बढ़ाने के बाद भी घरेलू उद्योग पहुंच कीमत के अनुरूप रहने के लिए लागत से कम पर बिक्री करता रहा और इस प्रकार उसे हानि होती रही।

87. इस तर्क के संबंध में कि क्षमता विस्तार के कारण ब्याज लागत और मूल्यह्रास बढ़ने से घरेलू उद्योग की बिक्री लागत बढ़ी, यह नोट किया जाता है कि ब्याज तथा मूल्यह्रास में क्षति अवधि के दौरान प्रति इकाई आधार पर गिरावट आई और कुल लागत में इनका हिस्सा क्रमशः केवल लगभग 1% और 2% रहा। अतः ये बिक्री की समग्र लागत में हुई वृद्धि की व्याख्या नहीं करते हैं। कच्चे माल की लागत, जो कुल लागत के दो-तिहाई से अधिक का गठन करती है, प्रमुख लागत घटक बनी रही।

विवरण	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	112	104	105
उपयोगिताएं	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	112	104	93
मूल्यह्रास	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	86	78	81

वित्त लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	86	77	81
अन्य लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	126	120	130
कुल लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	113	105	106
कुल लागत में हिस्सेदारी					
कच्चे माल की लागत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	99	99	99
वित्त लागत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	100	100
मूल्यह्रास	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	67	67	67

ङ) रोजगार, उत्पादकता और वेतन

88. प्रारंभिक निष्कर्षों में प्राधिकारी ने नोट किया कि क्षमता वृद्धि के साथ क्षति अवधि में कर्मचारियों की संख्या और वेतन में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, प्रतिदिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता बढ़ी है। घरेलू उद्योग ने इस आधार पर क्षति का दावा नहीं किया है।

विवरण	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**पीओआई**
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	118	121	116
वेतन एवं मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	115	131	136
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	116	129	123
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	106	106

च) वृद्धि

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
उत्पादन	%	-	16%	11%	(5%)
घरेलू बिक्री	%	-	18%	7%	(8%)
लाभ/हानि	%	-	(199%)	(89%)	77%
नकद लाभ	%	-	(137%)	(173%)	104%
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	-	(141%)	(87%)	93%

89. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मानदंड 2022-23 और 2023-24 में सुधरे। जांच की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मानदंडों में नकारात्मक वृद्धि हुई। तथापि, घरेलू उद्योग के लाभप्रदता संबंधी मानदंड प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए और क्षति अवधि में बिगड़े। जांच की अवधि में लाभप्रदता में मामूली सुधार हुआ, फिर भी घरेलू उद्योग को भारी हानि होती रही और उसके निवेश पर अत्यंत नकारात्मक प्रतिफल रहा। अतः घरेलू उद्योग की लाभप्रदता संबंधी मानदंडों में गिरावट हुई है। प्रारंभिक निष्कर्षों में घरेलू उद्योग की वृद्धि के संबंध में निकाले गए निष्कर्षों को बदलने हेतु हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी प्रारंभिक निष्कर्षों में निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

90. प्रारंभिक निष्कर्षों में घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर आयातों के प्रभाव के संबंध में निकाले गए निष्कर्षों को बदलने हेतु हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी इस संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों में निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

91. जैसा प्रारंभिक निष्कर्षों में नोट किया गया, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत महत्वपूर्ण रूप से कम रही। आयातों की कीमत क्षतिरहित कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम थी। इससे घरेलू उद्योग को अपनी लागत से कम कीमत पर बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप हानि हुई। अतः आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

झ) पाटन की मात्रा

92. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण पाटन हुआ है, जिसने बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

ज.3.4. आगे क्षति का खतरा

93. घरेलू उद्योग को आगे क्षति के खतरे के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों में निकाले गए निष्कर्षों को बदलने हेतु हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी इस संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों के पैरा 108 से 117 में निकाले गए निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

ज.3.5. क्षति का समग्र आकलन

94. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी पाता है कि क्षति के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों में की गई टिप्पणियां अभी भी लागू हैं। संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि:

i. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा निरपेक्ष रूप से महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है।

ii. संबद्ध आयात भारतीय उत्पादन और घरेलू खपत के संबंध में भी बढ़े हैं।

iii. जांच की अवधि में संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

iv. क्षति अवधि के दौरान, लागत में समग्र वृद्धि के बावजूद बिक्री कीमत में गिरावट आई। वर्ष 2023-24 में भी बिक्री कीमत में लागत की तुलना में अधिक तीव्र गिरावट आई। अतः कम पहुँच मूल्य ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर मूल्य-ह्रासकारी तथा मूल्य-दमनकारी प्रभाव डाला।

v. घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री मात्रा 2023-24 तक बढ़ी, किंतु जांच की अवधि में घट गई। जांच की अवधि में मांग में ***% वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में ***% घटी है।

vi. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग अवधि में घटा है।

vii. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी है, जबकि संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, यद्यपि भारतीय उद्योग के पास देश की संपूर्ण मांग पूरी करने की क्षमता है।

viii. घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का निपटान करने में असमर्थ है, जिसके परिणामस्वरूप

माल-सूची बढ़ रही है।

ix. घरेलू उद्योग को 2022-23 से महत्वपूर्ण हानि हुई है।

x. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के नकद लाभ में तीव्र गिरावट आई है।

xi. घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

xii. आयातों ने घरेलू उद्योग की आगे पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

xiii. आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

xiv. पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

xv. आयातों में वृद्धि की महत्वपूर्ण दर, विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध पर्याप्त निष्क्रिय क्षमता, विदेशी उत्पादकों की उच्च निर्यात अभिमुखता, वैश्विक अधिक आपूर्ति की स्थिति, प्रस्तावित क्षमता विस्तार, तीसरे देशों द्वारा व्यापार उपचार उपाय लगाए जाने तथा अतिरिक्त प्रशुल्क लगाए जाने को देखते हुए पाटित आयात घरेलू उद्योग को आगे क्षति पहुंचाने का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

95. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और आयात घरेलू उद्योग को आगे क्षति पहुंचाने का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

ज.3.6. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

96. यह नोट किया जाता है कि डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार ताइवान की कीमत संबद्ध आयातों की कीमत से अधिक है। इसके अतिरिक्त, आयातों की कीमत औसत आधार पर तथा उत्पादक-विशिष्ट आधार पर क्षतिरहित कीमत से अधिक है। ताइवान से क्षतिकारी कीमतों पर आयातों की मात्रा नगण्य है। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति को ताइवान से आयातों के कारण नहीं माना जा सकता।

97. इस अनुरोध के संबंध में कि यू.एस.-ईरान संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित हुई हो सकती है, प्राधिकारी नोट करता है कि उक्त संघर्ष जांच की अवधि के बाद हुई घटना है। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति को इस कारण से नहीं जोड़ा जा सकता। किसी भी स्थिति में हितबद्ध पक्षकार यह समझाने में विफल रहे

हैं कि इस संघर्ष ने विचाराधीन उत्पाद के लिए भारत के घरेलू बाजार में आयातों की मात्रा और मूल्य अथवा घरेलू उद्योग के निष्पादन को किस प्रकार प्रभावित किया। ऐसी सूचना के अभाव में प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों के दावे में कोई गुण नहीं पाता।

ज.3.7. कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

98. यद्यपि नियमावली में सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई, प्राधिकारी नोट करता है कि निम्नलिखित मानदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

i. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण पाटन हुआ है।
ii. परिणामस्वरूप, क्षति अवधि में पाटित आयातों की मात्रा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है।
iii. भारतीय खपत और उत्पादन के संबंध में भी आयातों की मात्रा बढ़ी है।
iv. पाटित आयातों में वृद्धि ने घरेलू उद्योग को बाजार में अपनी वस्तुएं लाभकारी कीमतों पर बेचने से रोका।
v. परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी, जबकि आयातों की हिस्सेदारी अवधि में बढ़ी।
vi. घरेलू उद्योग बाजार में अपना उत्पाद बेचने में असमर्थ रहा, जिसके परिणामस्वरूप माल-सूची का महत्वपूर्ण संचय हुआ।
vii. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग घटा है।
viii. कम कीमत वाले आयातों ने उन कीमत वृद्धियों को रोका जो अन्यथा होतीं और घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया।
ix. घरेलू उद्योग को हानि पर बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ा है, उसके लाभ में तीव्र गिरावट आई है तथा जाँच अवधि के दौरान उसने अपने निवेश पर ऋणात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

99. अतः प्राधिकारी निष्कर्ष निकालता है कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।

झ. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

100. प्राधिकारी ने नियमावली के साथ पठित अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर

घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया। उपयोगिताओं के लिए भी यही व्यवहार अपनाया गया। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय शामिल न हो। नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित और अपनाई जा रही पद्धति के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर युक्तिसंगत प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति देकर क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई।

101. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए विधिवत् सत्यापित आंकड़ों के आधार पर किया गया है। सभी सहयोगी गैर-नमूना उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नमूना उत्पादकों/निर्यातकों के भारित औसत पहुंच मूल्य को लिया गया है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।

102. ऊपर निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया है, जो नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक	एनआईपी (अमेरिकी डॉलर/एमटी)	पहुंच कीमत (अमेरिकी डॉलर/एमटी)	क्षति मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/एमटी)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन % रेंज
क.	**बांग्लादेश**					
1	अकीज बायएक्स फिल्म्स लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
2	अन्य कोई	***	***	***	***	20-30

ख.	**चीन जन. गण.**					
1	जियांगसू कांगहुई न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
2	कांगहुई नानटोंग न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	15-25
3	कांगहुई न्यू मटीरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (सामूहिक रूप से “कांगहुई समूह”)	***	***	***	***	15-25
4	**भारित औसत**	***	***	***	***	**10-20**
5	जियांगसू शुआंगशिंग कलर प्लास्टिक न्यू मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
6	**अन्य गैर-नमूना सहयोगी उत्पादक**	***	***	***	***	**5-15**
7	अन्य कोई	***	***	***	***	20-30
ग.	**थाईलैंड**					
1	ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
2	अन्य कोई	***	***	***	***	35-45

ञ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ञ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध

103. प्रारंभिक निर्धारण जारी होने के बाद भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. पीईटी फिल्म एक महत्वपूर्ण इनपुट है जिसका उपयोग फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, खाद्य पैकेजिंग, औषधि, विद्युत इन्सुलेशन, प्रिंटिंग तथा अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों सहित अनेक डाउनस्ट्रीम उद्योगों में होता है। ये क्षेत्र विनिर्माण मूल्य शृंखला का आवश्यक भाग हैं और शुल्क लगाए जाने से लागत में वृद्धि डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, क्योंकि वे कम मार्जिन पर कार्य करते हैं और कीमत

वृद्धि का भार आगे के प्रयोक्ताओं पर डाल सकते हैं।

ii. चूंकि घरेलू उद्योग के पास पहले से पर्याप्त क्षमता है, शुल्क लगाने से प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है, घरेलू उद्योग का एकाधिकार बन सकता है और संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो सकती है। आयातों ने केवल घरेलू उत्पादन की पूर्ति की है और सदैव मांग पूरी करने में योगदान दिया है।

iii. संबद्ध वस्तुओं पर पहले से 10% मूल सीमा शुल्क लागू है और अतिरिक्त शुल्क डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर भार बढ़ाएगा।

iv. पीईटी फिल्म व्यापक रूप से प्रयुक्त मध्यवर्ती उत्पाद है और पीईटी फिल्म की लागत में कोई वृद्धि डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

v. प्राधिकारी की सकारात्मक सिफारिशों के बावजूद वित्त मंत्रालय द्वारा अस्थायी शुल्क न लगाया जाना दर्शाता है कि शुल्क लगाना जनहित में नहीं है।

ञ.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

104. प्रारंभिक निर्धारण जारी होने के बाद भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की लागत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह व्यापक जनहित में होगा।

ii. चिप्स के एक पैकेट, जिसका वजन लगभग 4-5 ग्राम होता है, के भार में पीईटी फिल्म का हिस्सा केवल 25% है। 30% तक शुल्क लगाने से अंतिम उपभोक्ताओं की लागत पर केवल 5 पैसे अथवा 0.2% का नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

iii. डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की लागत में संबद्ध वस्तुओं का बड़ा हिस्सा नहीं है और इसलिए शुल्क लगाने का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

iv. भारतीय उद्योग के पास देश की पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और इसलिए संबद्ध आयात पूरी तरह अनावश्यक हैं।

v. प्रयोक्ता संबद्ध वस्तुओं की खरीद भारतीय उद्योग और अन्य देशों से आसानी से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से भी वस्तुओं का आयात उचित कीमतों पर किया जा सकता है।

vi. शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग का एकाधिकार नहीं होगा क्योंकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रयोक्ताओं के पास संबद्ध वस्तुओं की खरीद के पर्याप्त विकल्प हैं,

जबकि शुल्क न लगाए जाने से घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं से अपना ध्यान हटाने के लिए विवश होना पड़ेगा और प्रयोक्ता उन निर्यातकों पर निर्भर हो जाएंगे जिनका उद्देश्य अपना लाभ अधिकतम करना है।

vii. प्राधिकारी द्वारा शुल्क लगाने की सिफारिश करने वाले सकारात्मक निष्कर्षों के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा बिना कारण बताए शुल्क न लगाया जाना एक आंतरिक प्रक्रिया है और इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि शुल्क लगाना जनहित में नहीं है।

viii. प्राधिकारी ने पूर्व में उन मामलों में भी अंतिम शुल्क लगाने की सिफारिश की है जहां वित्त मंत्रालय ने अस्थायी शुल्क नहीं लगाया था। इनमें से कुछ सिफारिशों को बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया गया।

ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

105. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि पीईटी फिल्म एफएमसीजी, औषधि, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे विभिन्न पैकेजिंग और औद्योगिक अनुप्रयोगों में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण इनपुट है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आगे तर्क दिया कि शुल्क लगाने से लागत में वृद्धि डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, क्योंकि वे कम मार्जिन पर कार्य करते हैं और कीमत वृद्धि का भार आगे के प्रयोक्ताओं पर डाल सकते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख उपयोग अन्य पैकिंग सामग्री के साथ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के विनिर्माण में होता है, जिसका आगे विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की पैकिंग में उपयोग किया जाता है। अतः, संबद्ध वस्तुएँ अंतिम तैयार उत्पाद की लागत का कोई प्रमुख हिस्सा नहीं हैं और संबद्ध वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन का अंतिम उपभोक्ता उत्पाद की कीमत पर केवल सीमित प्रभाव पड़ेगा।

106. डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं के परिचालन पर शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव संबंधी अनुरोध के बारे में घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं अथवा अंतिम उपभोक्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह नोट किया जाता है कि विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों की पैकेजिंग में अन्य पैकेजिंग सामग्री के साथ संबद्ध वस्तुओं का उपयोग बहुत कम मात्रा में होता है। विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क लगाने से प्रति पैकेट केवल 4 पैसे अथवा अंतिम उत्पाद की कीमत पर 0.2% की वृद्धि होगी।

विवरण	**इकाई**		**मूल्य**
चिप्स की कीमत	₹	क	20

खाली पैकेट का वजन	ग्राम	ख	6
एक पैकेट में पीईटी फिल्म का वजन	ग्राम	ग	1.5
पीईटी फिल्म की पहुंच कीमत	₹/एमटी	घ	1,22,910
पीईटी फिल्म की पहुंच कीमत	₹/ग्राम	ङ = घ / 10^6	0.12
सिफारिश किया गया उच्चतम शुल्क	अमेरिकी डॉलर/एमटी	च	330
विनिमय दर	अमेरिकी डॉलर/₹	छ	85.43
प्रति ग्राम प्रस्तावित शुल्क	₹/ग्राम	ज = (च*छ) / 10^6	0.03
चिप्स के 1 पैकेट पर प्रभाव	₹/पैकेट	झ = ज* ग	0.04
प्रयोक्ता की लागत पर प्रतिशत प्रभाव	%	ञ = झ/ क	0.2%

107. यह नोट किया जाता है कि देश में 19 अन्य उत्पादक हैं, जिससे संबद्ध वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध वस्तुओं का आयात विभिन्न तीसरे देशों से भी किया जा सकता है, जिससे प्रयोक्ताओं के लिए वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी। शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग का एकाधिकार बनने के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करता है कि अन्य घरेलू उत्पादकों की मौजूदगी और अन्य देशों से आयात को देखते हुए प्रयोक्ताओं के पास बाजार में पर्याप्त विकल्प हैं। संबद्ध देशों से भी संबद्ध वस्तुओं का आयात उचित कीमतों पर जारी रखा जा सकता है। अतः शुल्क लगाने से भारत में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

108. इस तर्क के संबंध में कि वित्त मंत्रालय द्वारा अस्थायी शुल्क न लगाया जाना दर्शाता है कि शुल्क लगाना जनहित में नहीं है, प्राधिकारी नोट करता है कि अस्थायी शुल्क लगाना केंद्र सरकार में निहित विवेक पर आधारित है। तथापि, केंद्र सरकार का अस्थायी शुल्क न लगाने का निर्णय यह नहीं दर्शाता कि पाटन, क्षति अथवा जनहित संबंधी चिंता मौजूद नहीं है। यह प्राधिकारी को जांच पूरी करने और संपूर्ण अभिलेख की जांच के बाद अंतिम शुल्क की सिफारिश करने से भी नहीं रोकता। प्राधिकारी इस तर्क में कोई गुण नहीं पाता।

ट. प्रकटन के पश्चात प्राप्त टिप्पणियाँ

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियाँ

कांगहुई समूह - भाग न लेने वाले व्यापारियों के माध्यम से किए गए निर्यातों का व्यवहार

109. कांगहुई समूह ने प्रस्तुत किया है कि उसके कुल निर्यातों का ***% सत्यापित माध्यमों के जरिए किया गया था, जबकि केवल ***मीट्रिक टन मात्रा ऐसे असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से निर्यात की गई थी, जिन्होंने जाँच में भाग नहीं लिया और जो समूह के नियंत्रण से बाहर थे। अतः समूह ने अनुरोध किया है कि नियम 6(8) का प्रयोग केवल उस सीमा तक किया जाए जहाँ आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं है और इससे समूह द्वारा किए गए सत्यापित सहयोग तथा सत्यापित लेनदेनों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

110. कांगहुई ने प्रस्तुत किया है कि निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य का पृथक-पृथक परीक्षण किया जाना चाहिए। उसका तर्क है कि ***मीट्रिक टन के लिए पहुँच मूल्य का सत्यापन बिल ऑफ एंट्री अथवा डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों से किया जा सकता है और जहाँ सटीक मिलान संभव न हो, वहाँ सत्यापित लेनदेनों से उपयुक्त पीसीएन-वार प्रतिनिधिक मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। उसने यह भी स्पष्ट किए जाने का अनुरोध किया है कि उक्त ***मीट्रिक टन का किस प्रकार व्यवहार किया गया, किन मूल्यों और पद्धति का उपयोग किया गया, मार्जिन पर उनका क्या प्रभाव पड़ा तथा इसके परिणामस्वरूप अल्पतर शुल्क नियम के अंतर्गत पुनर्गणना किस प्रकार की गई।

जियांगसू शुआंगशिंग - व्यक्तिगत निर्धारण और अल्पतर शुल्क

111. जियांगसू शुआंगशिंग ने नमूने में चयनित सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के रूप में उसके व्यवहार की पुष्टि किए जाने तथा उसके सत्यापित आँकड़ों, जिनमें प्रकटीकृत निर्यात कीमत, पहुँच मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन शामिल हैं, का उपयोग जारी रखे जाने का अनुरोध किया है। उसने अपने स्वयं के सत्यापित आँकड़ों पर आधारित व्यक्तिगत शुल्क की भी मांग की है, जो अल्पतर शुल्क नियम के अंतर्गत पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, तक सीमित हो। साथ ही, अंतिम निर्धारण से पूर्व इन गणनाओं में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रकटीकरण किए जाने का भी अनुरोध किया गया है।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियाँ

अक्षतिकारी कीमत पर पुनर्विचार

112. घरेलू उद्योग ने अक्षतिकारी कीमत (एनआईपी) का पुनर्निर्धारण किए जाने का अनुरोध किया है। उसने प्रस्तुत किया है कि यूफ्लेक्स और स्पर्श द्वारा रिपोर्ट की गई सिलिका तथा ब्राइट चिप्स की वास्तविक सत्यापित दरों का उपयोग किया जाना चाहिए और संबद्ध वस्तुओं के सुरक्षित भंडारण एवं बिक्री के लिए आवश्यक प्राथमिक पैकिंग लागत को भी शामिल किया जाना चाहिए। उसने वैकमेट और यूफ्लेक्स के संयंत्रों में वेतन, मूल्यह्रास तथा अन्य विनिर्माण व्ययों का एकसमान और सुसंगत आवंटन किए जाने का भी अनुरोध किया है।

113. घरेलू उद्योग ने आगे यह भी अनुरोध किया है कि पीईटी चिप्स के कैप्टिव उत्पादन के लिए प्रयुक्त परिसंपत्तियों को निवल अचल परिसंपत्तियों में, कुछ प्रशासनिक तथा स्थिर बिक्री व्ययों को और विविध डेबिट शेषों को भी शामिल किया जाए। उसने कार्यशील पूंजी में अल्पकालिक सावधि जमाओं, मार्जिन मनी तथा संबद्ध पक्षकारों को दिए गए अग्रिमों को शामिल करने का भी अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग के अनुसार, ये मदें सामान्य व्यावसायिक परिचालनों से उत्पन्न होती हैं और इन्हें बाहर रखने से अक्षतिकारी कीमत कम आंकी जाती है।

एकेआईजे बाइएक्स फिल्म्स लिमिटेड का सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन

114. घरेलू उद्योग ने एकेआईजे बाइएक्स फिल्म्स लिमिटेड के निर्धारण की पुनः जाँच किए जाने का अनुरोध किया है। उसने प्रस्तुत किया है कि सत्यापन के पश्चात पाटन मार्जिन कम हो गया, जबकि संबंधित घरेलू बाजार की सभी बिक्री लागत से कम पाई गई थीं। अतः उसने प्रश्न उठाया है कि क्या निर्मित सामान्य मूल्य में प्रयुक्त लाभ, अनुबंध-I के पैरा 4 के अनुसार उपयुक्त है और सामान्य मूल्य तथा पाटन मार्जिन की पुनः जाँच किए जाने का अनुरोध किया है। विस्तृत प्रस्तुति बांग्लादेश के एकेआईजे बाइएक्स से संबंधित है, जबकि अंतिम प्रार्थना में सामान्य रूप से थाईलैंड के उत्पादक के निर्धारण की पुनः जाँच का भी उल्लेख किया गया है।

विचाराधीन उत्पाद का दायरा, घरेलू उद्योग और पाटन

115. घरेलू उद्योग ने अधिसूचित विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) तथा पीसीएन पद्धति, घरेलू उद्योग के दायरे एवं अधिकारिता और इस निष्कर्ष की पुष्टि किए जाने का अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

वास्तविक क्षति, कारणात्मक संबंध और आगे और क्षति की आशंका

116. घरेलू उद्योग ने क्षति तथा कारणात्मक संबंध संबंधी निष्कर्षों की पुष्टि किए जाने का अनुरोध किया है। उसने संबद्ध आयातों में वृद्धि, कीमत में कटौती, कीमत दमन एवं कीमत ह्रास, कम पहुँच कीमतों, क्षमता उपयोग तथा बाजार हिस्सेदारी में कमी, अधिक भंडार, हानियों, कम नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक प्रतिफल तथा आगे के निवेश पर पड़े प्रभाव पर भरोसा किया है। उसने यह भी प्रस्तुत किया है कि कुछ मात्रा संबंधी संकेतकों में सुधार होने मात्र से घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त नहीं हो जाती।

117. घरेलू उद्योग ने आगे और क्षति की आशंका संबंधी निष्कर्ष की पुष्टि किए जाने का भी अनुरोध किया है। इस संबंध में उसने बढ़ते आयातों, संबद्ध देशों में निष्क्रिय तथा निर्यात-उन्मुख क्षमताओं, प्रस्तावित क्षमता विस्तार, वैश्विक अधिशेष आपूर्ति, अन्य बाजारों में लागू व्यापार उपचार उपायों तथा कम कीमत वाले आयातों के निरंतर बने रहने के जोखिम पर भरोसा किया है। उसने आगे यह भी प्रस्तुत किया है कि ताइवान से आयात और जाँच अवधि के पश्चात हुआ अमेरिका-ईरान संघर्ष घरेलू उद्योग को हुई क्षति की व्याख्या नहीं करते हैं।

जनहित और गोपनीयता

118. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि शुल्क का अनुप्रवाही उपयोगकर्ताओं तथा अंतिम उपभोक्ताओं पर केवल बहुत मामूली प्रभाव पड़ेगा, घरेलू तथा तीसरे देशों से आपूर्ति उपलब्ध बनी रहेगी और शुल्क के परिणामस्वरूप एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। उसने यह भी प्रस्तुत किया है कि केंद्रीय सरकार द्वारा अनंतिम शुल्क नहीं लगाए जाने का निर्णय जाँच पूर्ण होने के पश्चात निर्णायक शुल्क की अनुशंसा किए जाने में बाधा नहीं है।

119. घरेलू उद्योग ने व्यावसायिक रूप से संवेदनशील लागत, संयंत्र और उत्पादन संबंधी सूचना के लिए गोपनीय व्यवहार किए जाने का भी अनुरोध किया है और कहा है कि इसके अनुरूप एक अगोपनीय संस्करण भी दाखिल किया गया है।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

कांगहुई समूह - अपूर्ण व्यापारी माध्यम, निर्यात कीमत और पहुँच मूल्य

120. प्राधिकारी ने असंबद्ध और जाँच में भाग न लेने वाले व्यापारियों के माध्यम से निर्यात की गई ***मीट्रिक टन मात्रा के व्यवहार की पुनः जाँच की है। उसके शेष लगभग ***5% निर्यातों के संबंध में कांगहुई के सहयोग को स्वीकार किया गया है और सत्यापित लेनदेन

उसके व्यक्तिगत निर्धारण का मुख्य आधार बने हुए हैं। नियम 6(8) का प्रयोग केवल अपूर्ण बिक्री माध्यमों से संबंधित सूचना की कमी तक सीमित रखा गया है और सत्यापित लेनदेनों पर इसका प्रयोग नहीं किया गया है।

121. प्राधिकारी स्पष्ट करता है कि ***मीट्रिक टन मात्रा को पहुँच मूल्य के प्रयोजन से सत्यापित लेनदेन के रूप में नहीं माना जा सकता था, क्योंकि उत्पादक, व्यापारी तथा पीसीएन-वार पूर्ण संबंध उपलब्ध नहीं था। सीमा शुल्क संबंधी आँकड़े आयात मूल्य और शुल्कों को स्थापित कर सकते हैं, किंतु केवल इन आँकड़ों से उत्पादक-विशिष्ट तुलना के लिए आवश्यक विदेशी बिक्री श्रृंखला और पीसीएन संबंध स्थापित नहीं होता है। अतः इन लेनदेनों का सत्यापित पहुँच-मूल्य लेनदेनों के रूप में उपयोग नहीं किया गया, जबकि निर्यात कीमत से संबंधित सूचना की कमी को केवल आवश्यक सीमा तक उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबोधित किया गया।

122. प्राधिकारी ने असंबद्ध एवं जाँच में भाग न लेने वाले व्यापारियों के माध्यम से किए गए निर्यातों की पुनः जाँच की है, जिन्हें लगभग ***मीट्रिक टन बताया गया था। अभिलेख पर उपलब्ध लेनदेन-वार सूचना के आधार पर इन निर्यातों की वास्तविक मात्रा ***मीट्रिक टन है, जो समूह के कुल ***मीट्रिक टन निर्यात का लगभग ***% है। उपलब्ध लेनदेन संबंधी सूचना तथा समुद्री मालभाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय/बंदरगाह व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभार के संबंध में लागू समायोजनों पर विचार करने के पश्चात, इन लेनदेनों की भारित औसत शुद्ध निर्यात कीमत (एनईपी) ***अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन निर्धारित होती है। शेष सहयोगी निर्यात चैनलों, जिनके अंतर्गत ***मीट्रिक टन अथवा समूह के कुल निर्यात का लगभग ***% आता है, की भारित औसत एनईपी ***अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन है। उपर्युक्त गैर-भागीदार व्यापारी लेनदेनों को शामिल करने पर समूह की समग्र भारित औसत एनईपी केवल बढ़कर ***अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन हो जाती है, अर्थात लगभग ***अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन की वृद्धि होती है। अतः प्राधिकारी नोट करता है कि नियम 6(8) का प्रयोग केवल अपूर्ण व्यापारी चैनलों से संबंधित सूचना के अभाव तक सीमित रखा गया है और इन लेनदेनों को शामिल करने का समूह की समग्र एनईपी पर केवल सीमित प्रभाव पड़ता है।

123. कांगहुई को उपलब्ध कराई गई गोपनीय गणनाओं में उसके व्यक्तिगत निर्धारण के लिए प्रयुक्त आँकड़ों की पहचान की गई है। कांगहुई और जियांगसू शुआंगशिंग के लिए निर्धारित मार्जिन उनके संबंधित सत्यापित लेनदेन आँकड़ों, पीसीएन मिश्रण तथा बिक्री चैनलों को प्रतिबिंबित करते हैं। इन अंतरों को देखते हुए, प्राधिकारी को कांगहुई के प्रकटीकृत मार्जिन में संशोधन करने का कोई आधार नहीं मिलता है। किसी भी स्थिति में, समूह के लिए अनुशंसित शुल्क उसके पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो कम हो, उसी तक सीमित है।

जियांगसू शुआंगशिंग - सत्यापित व्यक्तिगत निर्धारण

124. प्राधिकारी पुष्टि करता है कि जियांगसू शुआंगशिंग एक नमूनाबद्ध सहयोगी उत्पादक/निर्यातक है। उसकी पीसीएन-वार निर्यात कीमत तथा पहुँच मूल्य का निर्धारण असंबद्ध ग्राहकों को की गई उसकी सत्यापित प्रत्यक्ष बिक्री के आधार पर किया गया है। प्रकटीकृत भारित औसत निवल निर्यात कीमत ***अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन, पहुँच मूल्य ***अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन, पाटन मार्जिन 10-20% तथा क्षति मार्जिन 0-10% को यथावत रखा गया है। चूँकि इन गणनाओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए संशोधित प्रकटन की आवश्यकता नहीं है। उसका शुल्क कम क्षति मार्जिन तक सीमित रखा गया है।

अक्षतिकारी कीमत

125. प्राधिकारी ने अक्षतिकारी कीमत (एनआईपी) से संबंधित सभी दावों की पुनः जाँच की है। एनआईपी सत्यापित कंपनी अभिलेखों पर आधारित है, तथापि उचित क्षमता उपयोग, युक्तिसंगत आवंटन तथा कारखाना-द्वार स्तर सुनिश्चित करने के लिए लागतों में आवश्यक समायोजन भी किया जाना आवश्यक है। चिप दरों, पैकिंग लागत, वेतन, मूल्यह्रास तथा अन्य विनिर्माण व्ययों से संबंधित दावों की इसी आधार पर समीक्षा की गई है।

126. कैप्टिव पीईटी-चिप परिसंपत्तियों, प्रशासनिक एवं बिक्री व्ययों, विविध शेषों तथा कार्यशील पूंजी की मदों से संबंधित दावों की भी जाँच की गई है। केवल विचाराधीन उत्पाद से सीधे संबंधित लागतों और परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है तथा दोहराव वाली मदों अथवा विनिर्माण के बाद के व्ययों को बाहर रखा गया है। सत्यापित लागत गणनाओं की पुनः जाँच करने के पश्चात प्राधिकारी को ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली है, जिसके कारण प्रकटीकृत एनआईपी में किसी परिवर्तन की आवश्यकता हो।

एकेआईजे बाइएक्स का सामान्य मूल्य और थाईलैंड से संबंधित प्रार्थना

127. एकेआईजे बाइएक्स के संबंध में प्राधिकारी ने यह पाया था कि संबंधित घरेलू बिक्री लागत से कम थी और इसलिए सत्यापित लागत, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा युक्तिसंगत लाभ के आधार पर पीसीएन-वार निर्मित सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया था। अनुबंध-I के पैरा 4 के अंतर्गत लाभ तत्व की पुनः जाँच की गई है और अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रदर्शित हो कि अपनाया गया आधार नियमों के अनुरूप नहीं है। प्रारंभिक मार्जिन की तुलना में अंतिम पाटन मार्जिन कम होने मात्र से कोई त्रुटि सिद्ध नहीं होती, क्योंकि सत्यापन के परिणामस्वरूप लागत, समायोजन, निर्यात कीमत तथा पीसीएन भारों में परिवर्तन हो सकता है।

128. घरेलू उद्योग की अंतिम प्रार्थना में सामान्य रूप से थाईलैंड के उत्पादक का भी उल्लेख किया गया है। प्रकटन के पश्चात अभिलेख पर ऐसी कोई नई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई

है जिसके आधार पर ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कंपनी लिमिटेड के लिए पहले से किए गए निर्धारण में किसी परिवर्तन की आवश्यकता हो। अतः प्रकटीकृत सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन संबंधी निर्धारणों को यथावत रखा गया है।

विचाराधीन उत्पाद का दायरा, घरेलू उद्योग और पाटन

129. प्रकटन के पश्चात ऐसी कोई नई सामग्री अभिलेख पर नहीं आई है जिसके कारण विचाराधीन उत्पाद के अधिसूचित दायरे अथवा पीसीएन पद्धति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता हो। प्राधिकारी यह भी पुष्टि करता है कि चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, यूफ्लेक्स लिमिटेड तथा वैकमेट इंडिया लिमिटेड नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है। संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक बने हुए हैं।

वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध

130. प्राधिकारी ने क्षति संबंधी सभी कारकों की पुनः जाँच की है। संबद्ध आयात आधार वर्ष में 14,607 मीट्रिक टन से बढ़कर जाँच अवधि में 41,719 मीट्रिक टन हो गए, जो माँग में हुई वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक तेज वृद्धि है। भारतीय उत्पादन तथा खपत की तुलना में भी आयातों में वृद्धि हुई। उनकी पहुँच कीमतें कम बनी रहीं और उन्होंने घरेलू कीमतों में कटौती की, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ा।

131. कुछ मात्रा संबंधी संकेतकों में पहले सुधार हुआ था, किंतु जाँच अवधि में उत्पादन और बिक्री में कमी आई, क्षमता उपयोग तथा बाजार हिस्सेदारी कमजोर हुई, भंडार उच्च स्तर पर बना रहा और घरेलू उद्योग को लगातार हानियाँ, कम नकद लाभ तथा ऋणात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ा। ताइवान से आयात नगण्य थे और अमेरिका-ईरान संघर्ष जाँच अवधि के पश्चात हुआ। अतः ये कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति की व्याख्या नहीं करते हैं। इसलिए प्राधिकारी पाटित आयातों के साथ कारणात्मक संबंध की पुष्टि करता है।

आगे और क्षति की आशंका

132. आगे और क्षति की आशंका संबंधी निष्कर्ष को भी यथावत रखा गया है। अभिलेख संबद्ध आयातों में तीव्र वृद्धि, संबद्ध देशों में पर्याप्त निष्क्रिय तथा निर्यात-उन्मुख क्षमताओं, प्रस्तावित क्षमता विस्तारों, वैश्विक अधिशेष आपूर्ति तथा अन्य बाजारों में लागू व्यापार उपचार अथवा टैरिफ उपायों को दर्शाता है। ये कारक, कम कीमत वाले आयातों के निरंतर बने रहने के साथ, किसी उपचारात्मक उपाय के अभाव में घरेलू उद्योग पर आगे भी दबाव पड़ने की संभावना दर्शाते हैं।

जनहित

133. प्राधिकारी ने अनुप्रवाही उपयोगकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों पर विचार किया है।

पीईटी फिल्म अंतिम पैक किए गए उत्पाद की लागत का केवल एक छोटा हिस्सा है। अब अनुशंसित सर्वाधिक शुल्क पर भी चिप्स के एक पैकेट पर उदाहरणात्मक प्रभाव लगभग 5 पैसे, अर्थात लगभग 0.2%, ही रहता है। भारत में कई अन्य उत्पादक उपलब्ध हैं और संबद्ध देशों से उचित कीमतों पर तथा तीसरे देशों से आयात जारी रह सकते हैं। अतः यह उपाय आपूर्ति पर प्रतिबंध अथवा एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न नहीं करता है।

134. केंद्रीय सरकार द्वारा अनंतिम शुल्क नहीं लगाए जाने का निर्णय पाटन, क्षति अथवा जनहित संबंधी निष्कर्षों में कोई परिवर्तन नहीं करता और जाँच पूर्ण होने के पश्चात निर्णायक शुल्क की अनुशंसा किए जाने में बाधा नहीं है। प्रकटन के पश्चात की प्रस्तुतियों में किए गए गोपनीयता संबंधी दावों का निपटारा नियम 7 के अनुसार किया गया है। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता है कि न्यूनतर शुल्क नियम पर आधारित आनुपातिक शुल्क जनहित में है।

ठ. निष्कर्ष

135. प्रकटन के पश्चात प्राप्त टिप्पणियों पर संपूर्ण अभिलेख के साथ विचार करने के उपरांत, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा पीसीएन पद्धति की पुष्टि करता है। चिरिपाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, यूफ्लेक्स लिमिटेड तथा वैकमेट इंडिया लिमिटेड घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और नियमों के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की अधिकारिता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

136. संबद्ध वस्तुओं का बांग्लादेश, चीन जन. गण. तथा थाईलैंड से भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात किया गया है। सहयोगी नमूनाबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों के व्यक्तिगत निर्धारण तथा सहयोगी गैर-नमूनाबद्ध एवं असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए लागू दरें, जैसा भी लागू हो, सत्यापित सूचना अथवा उपलब्ध तथ्यों पर आधारित हैं।

137. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। संबद्ध आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और उनसे घरेलू कीमतों पर पर्याप्त दबाव पड़ा, जबकि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सेदारी, भंडार की स्थिति तथा वित्तीय निष्पादन में गिरावट आई। ज्ञात अन्य कारक इस क्षति की व्याख्या नहीं करते हैं और पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध विद्यमान है।

138. आयातों में वृद्धि, विदेशों में उपलब्ध एवं निर्यात-उन्मुख क्षमताओं, प्रस्तावित विस्तारों, वैश्विक अधिशेष आपूर्ति तथा अन्य बाजारों में लागू प्रतिबंधों को देखते हुए पाटित आयात आगे और क्षति की आशंका भी उत्पन्न करते हैं। अभिलेख पर ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे यह स्थापित हो कि समुचित रूप से निर्धारित शुल्क से बाजार में वस्तु की कमी उत्पन्न होगी अथवा उपयोगकर्ताओं या उपभोक्ताओं पर असंगत रूप से अधिक बोझ

पड़ेगा।

139. तदनुसार, निर्णायक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना उचित है। न्यूनतर शुल्क सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक श्रेणी के लिए अनुशंसित शुल्क पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसी तक सीमित है।

ड. सिफारिशें

140. जाँच आरंभ की गई तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई और उन्हें सूचना प्रस्तुत करने, अपने विचार रखने तथा प्रकटीकृत आवश्यक तथ्यों पर टिप्पणियाँ देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जाँच परिणामों पर पहुँचते समय अभिलेख पर उपलब्ध प्रस्तुतियों तथा साक्ष्यों पर समुचित रूप से विचार किया है।

141. यह निष्कर्ष निकालने के पश्चात कि बांग्लादेश, चीन जन. गण. तथा थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुँचाई है और आगे और क्षति की आशंका उत्पन्न की है, प्राधिकारी क्षति को दूर करने के लिए निर्णायक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक मानता है।

142. अतः, प्राधिकारी नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम सं. 7 में उल्लिखित राशि के अनुसार प्रति मीट्रिक टन अमेरिकी डॉलर में निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की संस्तुति करता है। प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क की राशि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम है, उसके आधार पर निर्धारित की गई है। लागू नियमों के अनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से यह शुल्क पाँच (5) वर्ष की अवधि तक लागू रह सकता है, जब तक कि इसे पहले ही वापस न लिया जाए, प्रतिस्थापित न किया जाए अथवा संशोधित न किया जाए।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि (अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1	39206210, 39206220, 39206290, 39206919 और 39219094	पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म*	बांग्लादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	एकेआईजे बाइएक्स फिल्म्स लिमिटेड	58
2	-वही-	-वही-	बांग्लादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	क्र. सं. 1 पर उल्लिखित उत्पादक के अलावा कोई अन्य उत्पादक	218
3	-वही-	-वही-	बांग्लादेश के अलावा कोई भी देश	बांग्लादेश	कोई भी	218
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांगसू कांगहुई न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड; कांगहुई नानटोंग न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड; कांगहुई न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (कांगहुई समूह)	155
5	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	जियांगसू शुआंगशिंग कलर प्लास्टिक न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	54

6	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	फुजियान बिलियन हाई-टेक मैटेरियल्स इंड. कंपनी लिमिटेड; हांगझोउ ग्रेट साउथईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड	129
7	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	क्र. सं. 4 से 6 पर उल्लिखित उत्पादकों के अलावा कोई अन्य उत्पादक	361
8	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	361
9	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	ए.जे. प्लास्ट पब्लिक कंपनी लिमिटेड	198
10	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	क्र. सं. 9 पर उल्लिखित उत्पादक के अलावा कोई अन्य उत्पादक	366
11	-वही-	-वही-	थाईलैंड के अलावा कोई भी देश	थाईलैंड	कोई भी	366

** विचाराधीन उत्पाद 8-100 माइक्रोन मोटाई की पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म अथवा द्विअक्षीय रूप से अभिमुख पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म है। सौर पैनलों में उपयोग के लिए पीईटी फिल्म तथा थर्मल लेमिनेशन फिल्म को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है*

टिप्पणी - ऊपर उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का लागू

होना इस शर्त के अधीन होगा कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किया जाए, जिस पर उक्त बीजक जारी करने वाली इकाई के किसी अधिकारी द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित घोषणा अंकित हो तथा उस अधिकारी की पहचान उसके नाम और पद से की गई हो। घोषणा निम्नलिखित रूप में होगी:
"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस बीजक में शामिल भारत को निर्यात के लिए बेची गई (विचाराधीन उत्पाद) की (मात्रा) का विनिर्माण (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।" यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होगी।

ढ. आगे की प्रक्रिया

143. इन अंतिम जाँच परिणामों में अभिहित प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 29-09-2026
16:22:35

अमिताभ कुमार

निर्दिष्ट प्राधिकारी